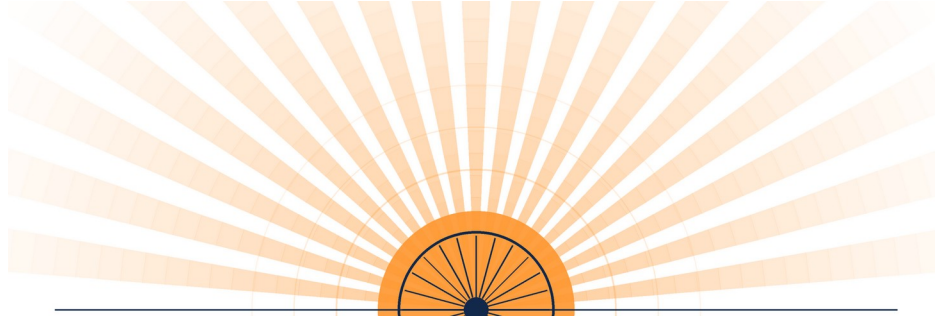




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“कर वह मूल्य है जो हम एक सम्य समाज के लिए चुकाते हैं।”

— ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय, कंपनिया जनरल दे ताबाकास मामले में असहमति मत (1927)

द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) — 9 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 9 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“प्रजानामेव भृत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्। सहस्रगुणमुत्सृष्टुमादत्ते हिरसं रविः॥ — उसने प्रजा से कर केवल प्रजा के ही कल्याण के लिए लिया, जैसे सूर्य जल को हजार गुना लौटाने के लिए ही खींचता है।”

— कालिदास • रघुवंश, सर्ग 1, श्लोक 18 (राजा दिलीप के विषय में)

उपयोग करें (Use in): आज की 57वीं जीएस्टी परिषद, जिसने अभियोजन से पहले अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति समाप्त की, अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ की और 90% वापसियाँ (रिफ़ंड) तीन कार्य-दिवस में निपटाने का वचन दिया। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-3 के संसाधन-संग्रहण और कर-प्रशासन वाले उत्तरों में, सामान्य अध्ययन-4 में सार्वजनिक वित्त की नैतिकता पर, तथा राज्य और विश्वास पर निबंधों की शुरुआत में कीजिए: करदाता तब स्वेच्छा से कर चुकाते हैं जब उन्हें बदले में मिलने वाला लाभ दिखता है। संतुलन भी रखिए: दिखता हुआ प्रतिफल फ़र्जी बिल बनाने वाले गिरोहों को नहीं रोकता, इसलिए चार राज्यों ने आपत्ति की; विश्वास के साथ आँकड़ों पर आधारित पहचान और निश्चित अभियोजन भी चाहिए।

“स्वास्थ्य के सर्वोच्च प्राप्य मानक का उपभोग प्रत्येक मानव का मूल अधिकार है, चाहे उसकी जाति, धर्म, राजनीतिक विश्वास, आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।”

— विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान • प्रस्तावना (अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन, न्यूयॉर्क द्वारा 22 जुलाई 1946 को अंगीकृत)

उपयोग करें (Use in): आज का वह निर्णय जिसमें अनुसूचित-भिन्न कैसर-रोधी दवाओं पर व्यापार-मार्जिन MRP के 30% तक सीमित किया गया, क्योंकि NPPA ने औसतन लगभग 170% और अधिकतम 700% तक का मार्क-अप पाया; तथा बालाघाट में बच्चों की मौतें, जहाँ महामारी-विज्ञानी के रिक्त पदों और एक वर्ष से अधिक समय से आशा कार्यकर्ता के बिना गाँव के कारण बुखार का समूह पकड़ में ही नहीं आया। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में, दवा-मूल्य विनियमन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर कीजिए। “आर्थिक या सामाजिक स्थिति” पर ध्यान दीजिए: मूल्य-सीमा पहली बाधा को संबोधित करती है, निगरानी और गाँव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता दूसरी को। संतुलन भी रखिए: मूल्य-नियंत्रण से आपूर्ति या नई दवाओं के प्रक्षेपण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए सीमा के साथ उपलब्धता की निगरानी भी कीजिए।

“... भूमि अधिग्रहण की एक मानवीय, सहभागितापूर्ण, सुविज्ञ और पारदर्शी प्रक्रिया ... जिसमें भूमि-स्वामियों और अन्य प्रभावित परिवारों को न्यूनतम असुविधा हो ...”

— भारत की संसद • भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) का दीर्घ शीर्षक

उपयोग करें (Use in): आज का पन्ना में ₹693 करोड़ की मझगाँव बाँध परियोजना के विरुद्ध एक महीने से चल रहा जल सत्याग्रह, जिसमें 1,450 परिवार विस्थापित हो रहे हैं; प्रदर्शनकारी घरों का कम मूल्यांकन, गलत ढंग से बाहर किए जाने और रिश्वत की माँग का आरोप लगाते हैं, और एक राजस्व अधिकारी ₹47,000 लेते पकड़ा गया। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-1 और 2 के उत्तरों में विकास-जनित विस्थापन, जनजातीय अधिकारों और पुनर्वास पर, तथा सामान्य अध्ययन-4 में सत्यनिष्ठा पर कीजिए: कानून स्वयं मानवीय प्रक्रिया का मानक तय करता है, इसलिए कसौटी मंशा नहीं, अमल है। इसके समापन शब्द प्रभावित व्यक्तियों को “विकास में भागीदार” बनाने की बात करते हैं। संतुलन भी रखिए: बाँध 43 गाँवों के 8,370 हेक्टेयर में सिंचाई करेगा और अधिकांश भूमि-स्वामियों को भुगतान हो चुका है; उपाय लंबित मामलों को शीघ्र सुलझाना है, सिंचाई छोड़ देना नहीं।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड • पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 5 मिनट

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2026 के धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पर रोक लगाने के प्रश्न पर राज्य से जवाब माँगा
- 1.2 सर्वोच्च न्यायालय के आयोग की रिपोर्ट में पंजाब के नगरीय चुनावों में फाड़े गए नामांकन और फ़र्जी मतदान का ब्योरा

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 GST परिषद ने अधिकारियों से गिरफ्तारी की शक्ति वापस ली, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ की, रिफ़ंड तेज़ किए
- 2.2 इंडोनेशिया के B50 आदेश से पाम तेल के मोड़े जाने पर खाद्य तेल की कीमतें साढ़े तीन वर्ष के उच्चतम स्तर पर

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 जल कानून और सुनिश्चित ख़रीद के दबाव में किसानों के सामने हर अक्टूबर पराली जलाने का संकट लौट आता है

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 अमेरिका ने कॉग्निजेंट, इन्फ़ोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी को PERM श्रम प्रमाणन से निलंबित किया
- 4.2 पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिकों की मौजूदगी मानी, हथियों ने रियाद और अभा हवाई अड्डों पर हमला किया; भारत ने परामर्श जारी किया

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 WMO का अनुमान: प्रबल अल नीनो 2027 तक बना रहेगा, दिल्ली की सर्दियों की वायु-गुणवत्ता का परिदृश्य और बिगड़ेगा

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 NPPA द्वारा 170% मार्क-अप पाए जाने के बाद केंद्र गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% पर सीमित करेगा
- 6.2 बालाघाट में बच्चों की मौतें: केंद्र की प्रकोप-दल को ज़िला प्रयोगशाला नहीं मिली, महामारी विशेषज्ञ का पद रिक्त, आशा अनुपस्थित

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 7.1 वैष्णव ने AI नियमन पत्र का वादा किया, उधर MeitY ने मंचों से छेड़छाड़ किए गए कंटेंट पर अंकुश लगाने को कहा

8. समाज (Society)

- 8.1 पन्ना के आदिवासियों का मझगाँव बाँध के मुआवज़े और पुनर्वास को लेकर महीने भर से जल सत्याग्रह

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 9.1 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैधता की जाँच से एक सप्ताह पहले केंद्र ने CAPF अधिनियम लागू किया

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 प्रकरण 1 — “कहानी नहीं, स्टाफ़ की कमी दुरुस्त कीजिए”: कलेक्टर और बालाघाट के बैगा बच्चे
- 9.2 प्रकरण 2 — “तीस प्रतिशत आपूर्ति को मार देगा”: मूल्य निर्धारण अधिकारी और कैंसर-औषधि का मार्जिन

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 17 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.1
- 11.2 GS1 कोना — Geography: पश्चिमी विश्वोभ और उत्तर भारत में शीतकालीन तापमान-व्युत्क्रमण
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): जवाबदेही (Accountability)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

12.1 कर-संग्राहक के रूप में विश्वास भय से बेहतर है।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2026 के धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पर रोक लगाने के प्रश्न पर राज्य से जवाब माँगा क्यों ज़रूरी: GS2 अधिकार: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 25 और Stainislaus; मुख्य परीक्षा के लिए आस्था की स्वतंत्र पसंद बनाम दबाव पर रोक की व्यवस्था।
2.1	GST परिषद ने अधिकारियों से गिरफ्तारी की शक्ति वापस ली, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ की, रिफ़ंड तेज़ किए क्यों ज़रूरी: GS3 संसाधन-जुटाव और GS2 राजकोषीय संघवाद: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 279A; मुख्य परीक्षा के लिए भरोसे पर टिका कर-प्रशासन।
3.1	जल कानून और सुनिश्चित ख़रीद के दबाव में किसानों के सामने हर अक्टूबर पराली जलाने का संकट लौट आता है क्यों ज़रूरी: GS3 कृषि एवं प्रदूषण: प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2009 का पंजाब जल कानून और CAQM; मुख्य परीक्षा के लिए नीतियों से पैदा होने वाली पराली की आग।
4.1	अमेरिका ने कॉग्निज़ेंट, इन्फ़ोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी को PERM श्रम प्रमाणन से निलंबित किया क्यों ज़रूरी: GS2 विकसित देशों की नीतियाँ: प्रारंभिक परीक्षा के लिए GATS का मोड 4 और ग्रीन-कार्ड की सीमाएँ; मुख्य परीक्षा के लिए कुशल प्रवासन पर रोक व्यापार-बाधा के रूप में।
5.1	WMO का अनुमान: प्रबल अल नीनो 2027 तक बना रहेगा, दिल्ली की सर्दियों की वायु-गुणवत्ता का परिदृश्य और बिगड़ेगा क्यों ज़रूरी: GS1 जलवायु-विज्ञान और GS3 प्रदूषण: प्रारंभिक परीक्षा के लिए Niño 3.4 और मानसून का LPA; मुख्य परीक्षा के लिए मौसम द्वारा उत्सर्जन के असर को बढ़ाना।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

दोनों खबरों में राज्य नागरिक और उसके चुनाव के बीच आ खड़ा होता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आस्था का है, और कानून धर्मांतरण करने वाले से कहता है कि वह पहले घोषणा करे और आपत्तियों की प्रतीक्षा करे। पंजाब में चुनाव एक पार्षद का था, और पुलिस की मौजूदगी में प्रतिद्वंद्वियों के नामांकन पत्र फाड़ दिए गए, ताकि मतदाताओं को यह चुनाव करने का मौका ही न मिले।

1.1 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2026 के धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पर रोक लगाने के प्रश्न पर राज्य से जवाब माँगा

मुद्दा State anti-conversion laws (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • परंपरा और सामाजिक न्याय

अब तक की कहानी: कई राज्य बल, कपट या प्रलोभन से कराए गए धर्मांतरण को दंडित करते हैं और धर्मांतरण से पहले सूचना देना अनिवार्य करते हैं; सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 में ऐसे सबसे पुराने कानूनों को वैध ठहराया था। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने मार्च 2026 में एक अधिक कठोर कानून पारित किया।

समाचार (THE NEWS) रायपुर, 8 अक्टूबर। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कृष्णा राम मोहपात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की पीठ ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 (Chhattisgarh Freedom of Religion Act, 2026) और उसके नियमों को चुनौती देने वाली याचिका में अंतरिम राहत के प्रश्न पर राज्य को तीन सप्ताह में जवाब देने का समय दिया है। अभी किसी भी प्रावधान पर रोक नहीं लगी है। वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने तर्क दिया कि आस्था राज्य की स्वीकृति या पूर्व सूचना पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, जबकि स्वेच्छा से धर्मांतरण करने वालों को भी सार्वजनिक घोषणाएँ करनी पड़ती हैं और कई अनुमतियाँ लेनी पड़ती हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार धर्मांतरण कराने वाले पुजारियों और पादरियों को पंजीकरण कराना होगा, और अपराधों पर कम से कम सात वर्ष का कारावास, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, तथा ₹10 लाख तक का जुर्माना है। वे सार्वजनिक सूचना और आपत्तियों वाले खंडों पर रोक चाहते हैं। उस आदेश के अनुसार, 24 अप्रैल को इससे पहले की एक चुनौती यह कहकर खारिज कर दी गई थी कि वह समय से पहले दायर हुई है, क्योंकि तब अधिनियम अधिसूचित नहीं हुआ था।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सर्वोच्च न्यायालय ने आरंभिक धर्मांतरण कानूनों को वैध ठहराया (1977) → छत्तीसगढ़ ने अधिक कठोर अधिनियम पारित किया (मार्च 2026) → पहली चुनौती समय-पूर्व बताकर विफल → अधिनियम और नियम प्रभावी → उच्च न्यायालय ने रोक पर राज्य से जवाब माँगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. अनुच्छेद 25 धर्म-प्रचार का अधिकार देता है, और स्टैनिसलास मामले में कहा गया कि यह धर्मांतरण का अधिकार नहीं है — अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका आचरण करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। Rev. Stainislaus v State of Madhya Pradesh (1977) में संविधान पीठ ने “प्रचार” का अर्थ अपनी आस्था का प्रसार माना, किसी दूसरे का धर्मांतरण कराना नहीं, और लोक व्यवस्था के आधार पर मध्य प्रदेश तथा ओडिशा के कानूनों को वैध ठहराया।
2. बाद के निर्णयों ने आस्था के चयन को निजता और स्वतंत्रता के भीतर रखा — K.S. Puttaswamy v Union of India (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना, जिसमें अंतरंग चयनों पर स्वायत्तता भी शामिल है। Shafin Jahan v Asokan K.M. (2018), यानी हादिया मामले, में न्यायालय ने कहा कि वयस्क का आस्था और जीवनसाथी का चयन उसका अपना है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. धर्मांतरण-विरोधी कानून अनुच्छेद 25 को अनुच्छेद 21 की कसौटी पर परखते हैं — GS2 में संविधान के “महत्वपूर्ण प्रावधान और आधारभूत संरचना” आते हैं, और GS1 में “सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता” पर प्रश्न पूछे जाते हैं; यह मामला दोनों से जुड़ता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 25(1) अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका आचरण करने तथा प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है, जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है।
- Rev. Stainislaus v State of Madhya Pradesh (1977) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म-प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है।
- अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने और अंतरिम राहत देने की शक्ति देता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. असली विवाद स्वेच्छा से धर्मांतरण करने वाले को लेकर है, ज़बरदस्ती वाले को लेकर नहीं — कोई भी याचिकाकर्ता बल या कपट से कराए गए धर्मांतरण का बचाव नहीं करता। चुनौती इस बात को है कि कानून स्वेच्छा से धर्म बदलने वाले वयस्क से क्या माँगता है: सार्वजनिक सूचना, आपत्तियों की प्रतीक्षा और आधिकारिक मंजूरी। राज्य कहेगा कि प्रलोभन को समय रहते पकड़ने का एकमात्र रास्ता सूचना ही है।

	2. लेंस — स्वतंत्रता और व्यवस्था : सिद्ध दबाव को दंडित करना अनुपातिक है, हर धर्मांतरित व्यक्ति की छानबीन नहीं — स्टैनिस्लॉस का निर्णय लोक व्यवस्था पर टिका था; आस्था का निजी परिवर्तन शायद ही उसके लिए खतरा बनता है। सिद्ध बल या कपट को दंडित करना सीमित और आवश्यक उपाय है। हर धर्मांतरित व्यक्ति से निर्णय की घोषणा करवाना उन लोगों तक पहुँच जाता है जिन्होंने किसी का अहित नहीं किया, और उसी दबाव को न्योता देता है जिसे रोकने का दावा कानून करता है। एक विवेकशील अधिकारी दंडात्मक खंड रखेगा और अपेक्षा करेगा कि सूचना-व्यवस्था अनुपातिकता की कसौटी पर टिक नहीं पाएगी। 3. अंतिम फैसले से अधिक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश हो सकता है — न्यायालय किसी कानून पर शायद ही रोक लगाते हैं, और अंतिम निर्णय आने में वर्षों लगते हैं। यदि इस बीच सूचना वाले खंड लागू रहे, तो व्यवहार में धर्मांतरण हतोत्साहित होंगे। केवल प्रक्रिया पर रोक माँगने से राहत देना आसान हो जाता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“जबर्न धर्मांतरण के विरुद्ध बना कानून आस्था के स्वतंत्र चयन पर बोझ नहीं बनना चाहिए।” छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — लोक व्यवस्था और स्वतंत्रता को तौलिए; एक निष्कर्ष तक पहुँचिए। 2. प्रस्तावना — प्रचार संरक्षित है, दूसरे का धर्मांतरण नहीं — स्टैनिस्लॉस का निर्णय और आज की चुनौती। 3. मुख्य भाग — राज्य बल, कपट और प्रलोभन को दंडित कर सकता है — कमज़ोर समुदायों की रक्षा। 4. मुख्य भाग — पूर्व सूचना और आपत्तियाँ स्वेच्छा से धर्म बदलने वालों पर बोझ हैं और अनुपातिकता की कसौटी पर विफल होती हैं — मूल्य-वर्धन: Puttaswamy (2017) और Shafin Jahan (2018)। प्रवाह-चित्र: सूचना, आपत्तियाँ, जाँच, अभियोजन। 5. उपसंहार — दंडात्मक मूल रखिए, पूर्व प्रचार हटाइए — सिद्ध दबाव को दंडित कीजिए; वयस्कों को स्वतंत्र रूप से आस्था बदलने दीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आपको धर्मांतरण की एक सूचना और स्थानीय समूहों की डेरों आपत्तियाँ मिलती हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं जाँच को केवल इस प्रश्न तक सीमित रखूँगा कि आवेदक वयस्क है और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है या नहीं, और इसके लिए उससे एकांत में मिलूँगा। जो आपत्तियाँ केवल धर्मांतरण का विरोध करती हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करूँगा। धर्मकियों के विरुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था करूँगा और किसी भी अंतरिम आदेश का तुरंत पालन करूँगा।

1.2 सर्वोच्च न्यायालय के आयोग की रिपोर्ट में पंजाब के नगरीय चुनावों में फाड़े गए नामांकन और फ़र्जी मतदान का ब्योरा

मुद्दा पंचायती राज और स्थानीय लोकतंत्र (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी 73वें संविधान संशोधन, 1992 ने नियमित पंचायत चुनाव अनिवार्य किए, फिर भी कुछ गाँवों में दशकों से सीटें 'निर्विरोध' भरी जाती हैं; क्योंकि प्रभावशाली समूह तय कर देते हैं। 28 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के 50 नगरीय वार्डों के चुनाव रद्द कर दिए और नए चुनाव कराने का आदेश दिया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक-सदस्यीय तथ्यान्वेषी आयोग, यानी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश निर्मलजीत कौर, की 239 पृष्ठों की रिपोर्ट दिखाती है कि दिसंबर 2024 के पंजाब स्थानीय निकाय चुनावों को कैसे विकृत किया गया; इससे पहले केवल चुनाव रद्द किए जाने की जानकारी थी। रिपोर्ट में पाया गया कि उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती नामांकन दाखिल करने से रोका गया, अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और पुलिस की मौजूदगी में उनके कागज़ छीनकर फाड़ दिए गए; इसके अलावा धमकियाँ दी गईं और फ़र्जी मतदान हुआ। पटियाला में 11.12.2024 को “अफ़रातफ़री, हिंसा, छीना-झपटी, नामांकन पत्रों का फाड़ा जाना” पाया गया, जिसके बाद केवल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। मिनी सचिवालय की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित न रख पाना राज्य की “घोर लापरवाही थी, जो प्रतिकूल निष्कर्ष को आमंत्रित करती है”। धर्मकोट (मोगा) में पुलिस ने उम्मीदवारों को सुरक्षा देने के उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी की। आयोग ने 50 वार्डों के चुनाव रद्द करने की सिफ़ारिश की, जिनमें 28 पटियाला के और 22 मोगा के हैं; न्यायालय ने 28 सितंबर को इसे स्वीकार कर लिया।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दिसंबर 2024 के नगरीय चुनाव → प्रतिद्वंद्वियों के नामांकन रोके गए और वार्ड निर्विरोध लौटे → सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यान्वेषी आयोग नियुक्त किया → 239 पृष्ठों की रिपोर्ट में पुलिस की मिलीभगत और गायब सीसीटीवी फुटेज का उल्लेख → 50 वार्डों में नए चुनाव का आदेश

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	- राज्य निर्वाचन आयोग सभी स्थानीय निकाय चुनावों का अधीक्षण करता है — अनुच्छेद 243K मतदाता सूचियों और पंचायत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपता है; अनुच्छेद 243ZA इसे नगरपालिकाओं तक विस्तारित करता है। राज्य निर्वाचन आयोग को केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जिससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। - स्थानीय चुनाव को केवल चुनाव याचिका के जरिये ही चुनौती दी जा सकती है — अनुच्छेद 243-O, और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243ZG, कहता है कि किसी भी स्थानीय चुनाव पर राज्य कानून के अधीन चुनाव याचिका के सिवाय प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह अनुच्छेद 329(b) की ही तरह है, जिसे N.P. Ponnuswami (1952) में चल रहे चुनाव में हस्तक्षेप का निषेध माना गया था।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	स्थानीय लोकतंत्र की परीक्षा उसके चुनावों की शुचितता से होती है — GS2 में “स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसमें आने वाली चुनौतियाँ” पूछी जाती हैं; यह रिपोर्ट ऐसी ही एक चुनौती का दस्तावेज़ है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- अनुच्छेद 243K के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उसे केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही हटाया जा सकता है। - अनुच्छेद 243ZA राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण को नगरपालिका चुनावों तक विस्तारित करता है। - अनुच्छेद 243-O और 243ZG के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों को केवल राज्य कानून के अधीन चुनाव याचिका द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित भाग IXA जोड़ा।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- निर्विरोध जीत को पलटना सबसे कठिन धाँधली है — जब कोई प्रतिद्वंद्वी नामांकन की मेज़ तक पहुँचता ही नहीं, तो कोई मतपत्र नहीं पड़ता और दोबारा गिनने को कुछ बचता नहीं। चुनाव याचिका गिनती के विवादों के लिए उपयुक्त है, और हारने वाले से अपेक्षा करती है कि वह उस राज्य के विरुद्ध मामला सिद्ध करे जिसके पास सारे अभिलेख हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 243-O की सामान्य रोक के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ही आयोग क्यों बनाया। - लेंस — स्वतंत्रता और जवाबदेही: संरक्षित निर्णायक कमज़ोर है, यदि व्यवस्थापक राज्य के नियंत्रण में हों — राज्य निर्वाचन आयोग को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी पद-से-हटाए-जाने की सुरक्षा मिली है, फिर भी जिन रिटनिंग अधिकारियों और पुलिस को रिपोर्टें दोषी ठहराती हैं, वे राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं। एक विवेकशील अधिकारी वहीं जवाबदेही जोड़ेगा जहाँ नुकसान हुआ: नामांकन-दिवस की फुटेज सुरक्षित रखने का दायित्व और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई। - गायब फुटेज अब राज्य के विरुद्ध गिनी जाएगी — पंजाब ने तर्क दिया कि किसी उम्मीदवार ने सीसीटीवी सुरक्षित रखने को नहीं कहा था। आयोग ने इसे अस्वीकार किया, क्योंकि अभिलेखों का संरक्षक राज्य है। इससे सबूत का भार उस प्राधिकारी पर चला जाता है जो साक्ष्य को नियंत्रित करता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	स्थानीय निकाय चुनावों में निर्विरोध जीत सर्वसम्मति के बजाय हेरफेर का संकेत हो सकती है। पंजाब के 2024 के नगरीय चुनावों के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	- निर्देश — परीक्षण कीजिए — रिपोर्ट के निष्कर्षों के सहारे राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों और सीमाओं की पड़ताल कीजिए। - प्रस्तावना — अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णायक बनाता है — लगभग 20 शब्द: आयोग का दायित्व और रद्द किए गए 50 वार्ड। - मुख्य भाग — फाड़े गए नामांकनों से ऐसी निर्विरोध जीतें निकलीं जिन्हें कोई याचिका ठीक नहीं कर सकती — मूल्य-वर्धन: गायब सीसीटीवी फुटेज पर आयोग का ‘प्रतिकूल निष्कर्ष’।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

4. मुख्य भाग — राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की पुलिस और रिटर्निंग अधिकारियों पर निर्भर है — प्रवाह-चित्र बनाइए: नामांकन, संवीक्षा, मतदान, परिणाम; जहाँ राज्य का तंत्र कार्य करता है उसे चिह्नित कीजिए।
5. उपसंहार — ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग जो अपने कर्मचारियों को स्वयं आदेश दे सके — फुटेज का अनिवार्य संरक्षण और नामांकन-दिवस पर सुरक्षा।

प्रश्न 1. राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में आप 50 वार्डों के नए चुनाव कैसे कराएंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं इन दो जिलों से बाहर के प्रेक्षक तैनात करूँगा और नामांकन-प्रक्रिया लगातार सीसीटीवी निगरानी में कराऊँगा, जिसकी रिकॉर्डिंग परिणाम अंतिम होने तक सुरक्षित रहेगी। सुरक्षा चाहने वाले किसी भी उम्मीदवार को तटस्थ इकाइयों की पुलिस साथ ले जाएंगी। हर अस्वीकृत नामांकन के लिए लिखित कारण और उसी दिन पुनर्विचार की व्यवस्था होगी।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

दोनों खबरें उस बाज़ार में भरोसे की हैं जिसे राज्य पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। घरेलू मोर्चे पर GST परिषद ने तय किया है कि ईमानदार करदाता को किसी संदेही अधिकारी की क्रीमत नहीं चुकानी चाहिए, और उसने दंडात्मक शक्ति के बदले तेज़ रिफंड और स्पष्ट नियम चुने हैं। विदेश में इंडोनेशिया ने तय किया है कि उसका पाम तेल भारत को बेचने से बेहतर डीज़ल के रूप में जलाया जाए, और इसकी क्रीमत भारत की रसोइयाँ चुकाएंगी।

2.1 GST परिषद ने अधिकारियों से गिरफ्तारी की शक्ति वापस ली, अभियोजन की सीमा ₹5 करोड़ की, रिफंड तेज़ किए

मुद्रा जीएसटी राजस्व और उसकी संरचना (कड़ी 4) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी सितंबर 2025 में GST दरें घटाकर दो मुख्य स्लैब में सीमित की गई; 5 अक्टूबर के कार्ड में इस बैठक के एजेंडे, यानी गिरफ्तारी की शक्तियाँ हटाने और अटके क्रेडिट को खोलने, का पूर्वावलोकन दिया गया था।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। 13 महीने बाद हुई 57वीं GST परिषद ने अभियोजन से पहले GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाने और अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने की सिफारिश की; सामान्य जुर्माना ₹25,000 से घटकर ₹10,000 होगा, और ₹10,000 से कम के विवादों में कारण-बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा। राज्यों के बीच जा रहे माल को केवल आपूर्तिकर्ता या गंतव्य राज्य के अधिकारी ही रोक सकेंगे, वह भी “विशिष्ट गुप्त सूचना” पर। रिफंड के संबंध में: 90% रिफंड तीन कार्य-दिवसों के भीतर (अब सात) स्वतः मंजूर होंगे, और संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आदानों पर चुकाया गया कर) इनपुट सेवाओं के लिए 1 नवंबर 2026 से और पूंजीगत माल के लिए अप्रैल 2027 से वापसी योग्य होगा, जिसके लिए CGST अधिनियम की धारा 54(3) में संशोधन किया जाएगा, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है। अधिकांश बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे; किसी दर में परिवर्तन नहीं हुआ। कम-से-कम चार राज्यों ने गिरफ्तारी हटाने पर आपत्ति जताई, किंतु सहमत हो गए।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2017 में GST दंडात्मक प्रवर्तन के साथ शुरू हुआ → सितंबर 2025 में दरें 5% और 18% तथा 40% की अवगुण स्लैब तक सीमित हुई → फ़र्मों के पास अटका हुआ क्रेडिट और गिरफ्तारी का भय बचा → परिषद ने दंडात्मक शक्ति के बदले भरोसा चुना → बदलाव अप्रैल 2027 से लागू होंगे

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. अनुच्छेद 279क GST परिषद को एक संयुक्त निकाय बनाता है जिसमें मतदान भारत मतों से होता है — इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं; राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। इसकी गणपूर्ति सदस्यों की आधी संख्या है; किसी निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वालों के भारत मतों का तीन-चौथाई चाहिए, जिसमें केंद्र का भार एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई गिना जाता है। Union of India v. Mohit Minerals (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसकी सिफारिशें प्रेरक हैं, बाध्यकारी नहीं।
2. गिरफ्तारी और अभियोजन की शक्तियाँ स्वयं CGST अधिनियम में निहित हैं — केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (Central Goods and Services Tax Act, 2017) की धारा 69 आयुक्त को निर्दिष्ट अपराधों में गिरफ्तारी के लिए अधिकृत करने देती है; धारा 132 अपराधों, जैसे फ़र्जी इनवॉइस, की सूची देती है, जिनमें कर-चोरी की राशि के अनुसार कारावास की श्रेणियाँ तय हैं। चूंकि ये वैधानिक हैं, इसलिए ये तभी बदलेगी जब संसद और राज्य विधायिकाएँ अपने अधिनियमों में संशोधन करें।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 का “संसाधनों का संचालन” GS2 के “राजकोषीय संघवाद” से मिलता है — आपत्ति जताकर भी सहमत होना राज्यों का सहकारी संघवाद को क्रियाशील दिखाने वाला तैयार उदाहरण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 279क GST परिषद का प्रावधान करता है।
- GST परिषद के किसी निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारत मतों का तीन-चौथाई चाहिए; डाले गए मतों में केंद्र का एक-तिहाई हिस्सा है।
- CGST अधिनियम, 2017 में धारा 69 गिरफ्तारी, धारा 132 अपराधों और धारा 54 रिफंड से संबंधित है।
- प्रतिलोमित शुल्क संरचना (inverted duty structure) तब बनती है जब आदानों पर कर निर्गत (आउटपुट) पर कर से अधिक होता है, जिससे अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. गिरफ्तारी हटाने से बोझ करदाता से हटकर अन्वेषक पर आ जाता है — जिस अधिकारी को धोखाधड़ी का संदेह होता था, वह पहले गिरफ्तार कर सकता था और मामला बाद में गढ़ सकता

	था; अब उसे प्रथम दृष्टया मामला तैयार करके न्यायालय जाना होगा। आपत्ति करने वाले राज्यों का प्रतिवाद है कि फ़र्जी इनवॉइस गिरोह तेज़ी से गायब हो जाते हैं, इसलिए धीमे अभियोजन से कुछ भी वसूल न हो पाए, यह संभव है। 2. छोटी फ़र्मों के लिए तेज़ रिफ़ंड का महत्व दर-कटौती से अधिक है — 2025 की कटौतियों के बाद भी आदान अक्सर निर्गत से महंगे रहे, इसलिए छोटे विनिर्माता का अपना धन अप्रयुक्त क्रेडिट के रूप में फँसा रहा। स्वचालित रिफ़ंड कर-रियायत को कार्यशील पूँजी में बदल देते हैं, जो छोटे उद्यम की असली बाधा है। 3. लेंस — केंद्र और राज्य: एकल बाज़ार पूरा करने के लिए राज्यों ने एक हथियार छोड़ा — पारगमन वाले राज्य ट्रक रोकने की शक्ति खो देते हैं। राज्यों ने एकरूपता के लिए अधिकार छोड़ा, किंतु एक संयुक्त निकाय के माध्यम से, सर्वसम्मति से, और राजस्व तथा अभियोजन अपने पास रखकर। एक विचारशील अधिकारी इसे सहकारी संघवाद का काम करना कहेगा, बशर्ते राज्यों को धोखाधड़ी पकड़ने के लिए साझा आँकड़े मिलें।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“57वीं GST परिषद कर-प्रशासन में दंडात्मकता से भरोसे की ओर बदलाव का संकेत है।” राज्यों की भूमिका के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — लाभों को जोखिमों के सामने तौलिए, फिर निर्णय दीजिए। 2. प्रस्तावना — परिषद ने अभियोजन से पहले गिरफ्तारी न करने और ₹5 करोड़ की सीमा की सिफ़ारिश की — अप्रैल 2027 से प्रभावी। 3. मुख्य भाग — भरोसे के उपाय अनुपालन-लागत घटाते हैं और कार्यशील पूँजी मुक्त करते हैं — स्वचालित रिफ़ंड, ₹10,000 की नोटिस-सीमा; मूल्य-वर्धन: औसत GST दर 2023 के 11.4% के मुकाबले 10.84%। 4. मुख्य भाग — फ़र्जी इनवॉइस के विरुद्ध भय-निरोध ही वास्तविक जोखिम है — चार राज्यों ने आपत्ति की; गिरफ्तारी की जगह विश्लेषण-तंत्र (analytics) को लेना होगा। रखाचित्र: संदेह → साक्ष्य → अभियोजन, जो संदेह → गिरफ्तारी का स्थान ले। 5. मुख्य भाग — राज्यों ने एकल बाज़ार के लिए पारगमन-जाँच छोड़ी — अनुच्छेद 279क की सर्वसम्मति; Mohit Minerals: विधायिकाओं को फिर भी कार्रवाई करनी होगी। 6. निष्कर्ष — भरोसे को विश्लेषण-तंत्र और समयबद्ध विधान का सहारा दीजिए — अप्रैल 2027 से पहले CGST और SGST अधिनियमों में एक साथ संशोधन कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. राज्य GST आयुक्त के रूप में आप अभियोजन से पहले गिरफ्तारी के बिना फ़र्जी इनवॉइस धोखाधड़ी की जाँच कैसे करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं बल के बजाय आँकड़ों का उपयोग करूँगा: आपूर्तिकर्ताओं के रिटर्न का क्रेता के क्रेडिट-दावों से मिलान, बड़े इनवॉइस जारी करने वाले नए पंजीकरणों का शीघ्र सत्यापन, और केंद्रीय GST विंग के साथ मिलकर अभियोजन की फ़ाइलें तेज़ी से तैयार करना। ईमानदार करदाताओं के पास जाँच के लिए कम बार जाना पड़ेगा।

2.2 इंडोनेशिया के B50 आदेश से पाम तेल के मोड़े जाने पर खाद्य तेल की कीमतें साढ़े तीन वर्ष के उच्चतम स्तर पर

मुद्दा खाद्य कीमतें और आयात नीति (कडी 5) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी: केंद्र ने कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर शुल्क घटाकर आधा, यानी 5%, कर दिया और कच्चे सूरजमुखी तेल पर समाप्त कर दिया। कमज़ोर मानसून के कारण दालों के दाम बढ़े हैं और सूखे से रबी की बुवाई पर संकट मंडरा रहा है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार FAO खाद्य मूल्य सूचकांक सितंबर में औसतन 136 अंक रहा, जो नवंबर 2022 के बाद सर्वाधिक है (आधार 2014-16 = 100), और उसका वनस्पति तेल सूचकांक 198.6 पर पहुँच गया, जो सितंबर 2025 से 18.3% ऊपर और जून 2022 के बाद सर्वाधिक है। इसके पीछे तीन कारक हैं। इंडोनेशिया ने जुलाई 2026 में अपना बायोडीज़ल मिश्रण आदेश बढ़ाकर B50 (डीज़ल में 50% वनस्पति-तेल बायोडीज़ल) कर दिया, जो विश्व में पहला है; GAPKI का अनुमान है कि बायोडीज़ल के लिए प्रयुक्त पाम तेल 2025 के 127 लाख टन से बढ़कर 2027 में 174 लाख टन हो जाएगा और निर्यात 323 लाख टन से घटकर 265 लाख टन रह जाएगा। अल नीनो का असर पाम की पैदावार पर 8-12 माह के विलंब से पड़ेगा। युद्ध ने आज़ोव सागर और काला सागर के बंदरगाहों का आवागमन रोक दिया है, जिससे सूरजमुखी तेल फँस गया है। भारत के लिए, दलाल फ़र्म GGN इंटरनेशनल का अनुमान है कि 2026-27 में घरेलू उत्पादन 97 लाख टन से घटकर 92 लाख टन रह जाएगा और आयात रिकॉर्ड 172 लाख टन तक पहुँच जाएगा।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

युद्ध ब्रेट कच्चे तेल को \$100 से ऊपर रखते हैं, जिससे बायोडीज़ल आकर्षक बनता है → इंडोनेशिया जुलाई 2026 में B40 से B50 पर जाता है → अल नीनो से पैदावार पर ख़तरे के बीच निर्यात के लिए पाम तेल घटता है → पाम के बड़े ख़रीदार भारत को महँगे आयात का सामना करना पड़ता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. भारत के पास खाद्य तेल की आयात-निर्भरता घटाने के दो मिशन हैं — राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पाम (NMEO-OP), जो 2021 में शुरू हुआ, ताज़े फलों के गुच्छों के लिए मूल्य-आश्वासन तंत्र के साथ विशेषकर पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेल पाम की खेती का विस्तार करता है। NMEO-तिलहन, जिसे 2024 में मंजूरी मिली, 2030-31 तक सरसों, मूँगफली, सोयाबीन और अन्य प्राथमिक तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। 2. FAME ट्रांसएस्टरीकरण से बना बायोडीज़ल है — वनस्पति तेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेनॉल से अभिक्रिया करके वसा अम्ल मेथिल एस्टर (FAME) बनाते हैं, जो पेट्रोलियम डीज़ल का स्थान ले सकते हैं या उसमें मिलाए जा सकते हैं। “B” संख्या डीज़ल में FAME का हिस्सा बताती है; पेट्रोल में इसका भारतीय संमकक्ष एथेनॉल मिश्रण है, जो अब 20% पर है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 में “खाद्य सुरक्षा” और “बफ़र स्टॉक के मुद्दे” सूचीबद्ध हैं; GS2 में “अन्य देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव” — खाद्य बनाम ईंधन की यह द्विधा विदेश की जलवायु नीति को घर की महंगाई से जोड़ती है, जो परीक्षक को प्रिय एक अंतर-विषयक विषय है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● FAO खाद्य मूल्य सूचकांक का आधार काल 2014-16 (= 100) है। ● B50 का अर्थ है ऐसा डीज़ल जिसमें 50% बायोडीज़ल (FAME) हो; इंडोनेशिया इसे अनिवार्य करने वाला पहला देश है। ● FAME का उत्पादन वनस्पति तेल के मेथेनॉल के साथ ट्रांसएस्टरीकरण से होता है। ● NMEO-ऑयल पाम (2021) पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देते हुए तेल पाम की खेती को बढ़ावा देता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. लेंस — राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा संपदा: एक देश की जलवायु नीति दूसरे के लिए खाद्य महंगाई है — इंडोनेशिया जीवाश्म ईंधन का आयात घटाने के लिए पाम तेल को डीज़ल में मिलाता है, जो एक तर्कसंगत राष्ट्रीय चुनाव है, पर इससे विश्व बाज़ार से तेल उसी समय हट जाता है जब अल नीनो और युद्ध आपूर्ति को कसते हैं। भारत लगभग 80 लाख टन पाम तेल प्रति वर्ष आयात करता है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं। निष्कर्ष: जैव-ईंधन आदेशों को खाद्य-सुरक्षा के सुरक्षा-उपायों की ज़रूरत है, जिसके लिए भारत को FAO और G20 में दबाव बनाना चाहिए। 2. आयात शुल्क घटाना अल्पकालिक राहत है जो दीर्घकालिक समाधान को कमज़ोर करती है — कम शुल्क उपभोक्ताओं को अभी बचाते हैं, पर सरसों और मूँगफली उगाने वालों के दाम गिरा देते हैं, जिससे तिलहन मिशन कमज़ोर पड़ते हैं। GGN के आँकड़ों के अनुसार आयात पहले ही आपूर्ति का लगभग 63% हैं। शुल्क के उतार-चढ़ाव से बेहतर दोनों लक्ष्यों को तिलहन की सुनिश्चित ख़रीद के साथ स्थिर शुल्क-पट्टी पूरा करती है। 3. अल नीनो खाद्य तेलों में भारत को दो बार चोट पहुँचाता है — जो मौसम अगले वर्ष इंडोनेशिया में पाम की पैदावार घटाता है, वही भारत की अपनी तिलहन फसलों को भी कमज़ोर करता है; इस प्रकार आयात की ज़रूरत बढ़ती है जबकि आयात की आपूर्ति सिकुड़ती है। इसीलिए खाद्य तेलों में कीमतों का उछाल अनाजों से अधिक तीखा होता है, जहाँ भारत के पास बड़े बफ़र स्टॉक हैं; खाद्य तेल में ऐसा कोई तुलनीय बफ़र नहीं है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	उत्पादक देशों में जैव-ईंधन आदेश भारत की खाद्य-तेल सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं? परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — भारत तक पहुँचने वाले कारण-संबंधों को खोलकर रखिए। 2. प्रस्तावना — FAO का वनस्पति तेल सूचकांक 198.6 पर, जून 2022 के बाद सर्वाधिक — जुलाई 2026 के इंडोनेशिया के B50 आदेश का नाम लीजिए। 3. मुख्य भाग — बायोडीज़ल पाम तेल सोखता है और इंडोनेशिया का निर्यात सिकोड़ता है — GAPKI: निर्यात 323 लाख टन (2025) से 265 लाख टन (2027)। रेखाचित्र: ब्रेट \$100 से ऊपर → B50 → घटा निर्यात → भारत का लैंडेड मूल्य बढ़ता है। 4. मुख्य भाग — भारत की निर्भरता उसे मूल्य-स्वीकारक बना देती है — 172 लाख टन के रिकॉर्ड आयात का अनुमान; NMEO मिशन घरेलू उत्तर है। 5. निष्कर्ष — आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाइए और तिलहन प्रोत्साहनों को स्थिर कीजिए —

	आयात-विविधीकरण को स्थिर शुल्क नीति के साथ जोड़िए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में, क्या आप दाम थामने के लिए खाद्य तेल का आयात शुल्क और घटाएँगे? दृष्टिकोण (Approach): शुल्क पहले ही कम हैं, इसलिए और कटौती से राहत बहुत कम मिलेगी और रबी की बुवाई से पहले तिलहन किसानों को चोट पहुँचेगी। मैं इसके बजाय आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाऊँगा, जैसे अमेरिका महाद्वीप से सोयाबीन तेल की ओर, और ज़रूरत पड़ने पर गरीब परिवारों को लक्षित राहत दूँगा। शुल्क में हर बदलाव की समीक्षा की निश्चित तिथि होनी चाहिए ताकि किसान योजना बना सके।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

पराली जलाना किसान की सनक नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का तर्कसंगत परिणाम है जिसे राज्य ने स्वयं गढ़ा है: एक जल कानून जिसने बुवाई में देरी करा दी, एक खरीद व्यवस्था जो केवल धान और गेहूँ को पुरस्कृत करती है, और उपग्रह की वह गिनती जिससे बचना किसान ने सीख लिया है। दंड केवल लक्षण पर चोट करता है; असली रोग तो प्रोत्साहन का ढाँचा है।

3.1 जल कानून और सुनिश्चित खरीद के दबाव में किसानों के सामने हर अक्टूबर पराली जलाने का संकट लौट आता है

मुद्रा दिल्ली-NCR का शीतकालीन वायु प्रदूषण (कडी 4) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी हरियाणा ने खेतों में आग लगाने के विरुद्ध 'पराली संरक्षण बल' खड़ा किया है; केंद्र और दिल्ली ने 1 नवंबर से लागू होने वाला शीतकालीन पाबंदियों का स्थायी कैलेंडर तय कर दिया है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। द हिंदू में अर्थशास्त्री सी.एस.सी. शेखर (इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ) बताते हैं कि पराली जलाना बार-बार क्यों लौट आता है। पंजाब और हरियाणा में लगभग 2.9 करोड़ टन धान की पराली निकलती है। इसके सर्दियों में खिसक जाने की जड़ पंजाब भू-जल संरक्षण अधिनियम, 2009 (Punjab Preservation of Sub-Soil Water Act, 2009) में है, जिसने कटाई को अक्टूबर के अंत तक पहुँचा दिया और गेहूँ की बुवाई से पहले केवल 10-15 दिन की खिड़की बची। 2012 से 2024 के बीच धान की खरीद राष्ट्रीय स्तर पर उपज का औसतन 37% रही, जबकि पंजाब में 87% और हरियाणा में 74%। सरकार ने लोकसभा को बताया कि 2025 में पराली जलाने की घटनाएँ 2022 की तुलना में 90% घटीं, लेकिन यह गिनती ध्रुवीय उपग्रहों पर टिकी है जो केवल सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 के बीच गुज़रते हैं; बहु-उपग्रह अनुमान में गिरावट लगभग 30% ही निकली, और इसरो के नेतृत्व वाले एक अध्ययन में पाया गया कि किसान शाम को पराली जलाने लगे हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1970 के दशक के उत्तरार्ध से कंबाइन हार्वेस्टर एक फुट की ट्रेंट छोड़ने लगे → 2009 का जल कानून रोपाई में देरी कराता है → कटाई अक्टूबर के अंत में चली जाती है और गेहूँ से पहले का अंतराल सिकुड़ता है → सुनिश्चित खरीद किसानों को धान में ही बांधे रखती है → दिल्ली की सबसे खराब हवा के मौसम में आग चरम पर पहुँचती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. पंजाब भू-जल संरक्षण अधिनियम, 2009 ने कानून बनाकर धान की तिथियाँ तय कर दीं — यह 10 मई से पहले धान की नर्सरी की बुवाई और अधिसूचित तिथि (10 जून) से पहले रोपाई पर रोक लगाता है, ताकि धान को मानसून के अनुरूप किया जा सके। उल्लंघन करने वाली फसल को अधिकारी नष्ट कर सकते हैं और हर माह के उल्लंघन पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर का जुर्माना लगा सकते हैं। 2. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम, 2021 ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वैधानिक वायु-गुणवत्ता निकाय बनाया — इस आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का स्थान लिया और यह दिल्ली-एनसीआर तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों को समेटता है। अधिनियम पराली जलाने वाले किसानों को अपने दंडात्मक प्रावधान से मुक्त रखता है और उसकी जगह आयोग को उनसे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने देता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 में “प्रमुख फसलें-फसल पद्धतियाँ” और “न्यूनतम समर्थन मूल्य” को “पर्यावरण प्रदूषण” से जोड़ा गया है — यह इस बात का पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है कि कृषि-मूल्य नीति पर्यावरणीय कीमत कैसे पैदा करती है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● पंजाब भू-जल संरक्षण अधिनियम, 2009 में 10 जून से पहले धान की रोपाई प्रतिबंधित है। ● 2021 के अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक निकाय CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का स्थान लिया। ● पराली जलाने की निगरानी का प्रोटोकॉल CREAMS ध्रुवीय-कक्षीय MODIS और VIIRS उपग्रह संवेदकों पर निर्भर है। ● खेत से बाहर (एक्स-सीटू) अवशेष प्रबंधन में धान की पराली का उपयोग खेत के बाहर किया जाता है, जैसे संपीड़ित बायोगैस या जैव-एथेनॉल के कच्चे माल के रूप में।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. भू-जल के एक कानून ने एक संकट सुलझाया, पर दूसरा बिगाड़ दिया — रोपाई में देरी कराना उचित था: 1999-2009 में पंजाब का जल-स्तर प्रति वर्ष 0.36 मीटर गिरा। लेकिन कटाई तो खिसक गई, जबकि गेहूँ से पहले का अंतराल चौड़ा नहीं किया गया, और 150-160 दिन की PUSA-44 किस्म ने उसे और घटा दिया; नतीजतन खेत साफ़ करने का सबसे सस्ता तरीका आग बन गया। एक संसाधन को अलग से सुधारने का अर्थ यह हुआ कि क्षति भूजल-स्तर से हटकर फेफड़ों तक पहुँच गई।

	2. लेंस — बाज़ार और राज्य: खरीद का संकेत किसी भी दंड से ज़्यादा प्रबल है — जहाँ राज्य ज्ञात मूल्य पर 87% धान खरीदता है और पंप की बिजली मुफ्त है, वहाँ भूजल-स्तर कुछ भी हो, धान ही तर्कसंगत चुनाव है। दंड, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का 2018 का वह मत जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में दोहराया कि पराली जलाने वालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) छिन सकता है, इस संकेत से लड़ते हैं; इसके विपरीत हरियाणा का ₹7,000 प्रति एकड़ का विविधीकरण भुगतान उसके साथ चलता है। एक विचारशील अधिकारी जुमाने बढ़ाने के बजाय सुनिश्चित खरीद को वैकल्पिक फसलों तक बढ़ाएगा। 3. घटती गिनती का अर्थ बेहतर छिपाव हो सकता है, कम आग नहीं — जब प्रवर्तन दोपहर के उपग्रह पर टिका हो, तो किसान शाम को आग लगाते हैं; इस तरह दर्ज घटनाएँ घट जाती हैं पर धुआँ नहीं घटता। शेखर चेताते हैं कि दंडात्मक दबाव किसानों और अधिकारियों को कमी 'दिखाने' की मिलीभगत के लिए ललचाता है। किसी भी नीति को परखने की पूर्व-शर्त भू-स्थिर और ध्रुवीय उपग्रह-आँकड़ों को मिलाना है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“पराती जलाना किसान की पसंद से अधिक लोकनीति की उपज है।” पंजाब और हरियाणा के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — नीति और किसान की स्वायत्तता को तौलिए, फिर निर्णय दीजिए। 2. प्रस्तावना — 2.9 करोड़ टन पराली, 10-15 दिन की खिड़की — समय-सीमा को दिल्ली की सर्दियों की हवा से जोड़िए। 3. मुख्य भाग — 2009 के जल कानून और लंबी अवधि की किस्मों ने खिड़की को सिकोड़ा — समय-रेखा खींचिए: 10 जून की रोपाई → अक्टूबर के अंत की कटाई → नवंबर के आरंभ में गेहूँ की बुवाई। 4. मुख्य भाग — खरीद और मुफ्त बिजली किसानों को धान में बाँध देती हैं — मूल्य-वर्धन: 2012-24 में धान की खरीद पंजाब में 87% बनाम राष्ट्रीय स्तर पर 37%। 5. निष्कर्ष — विविधीकरण के लिए भुगतान कीजिए और ईमानदारी से नापिए — संसदीय समिति के आग्रह के अनुसार पराली का खेत से बाहर उपयोग के लिए मूल्य तय कीजिए; बहु-उपग्रह आँकड़ों का उपयोग कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. पंजाब के एक ज़िले के उपायुक्त के रूप में आप देखते हैं कि दर्ज आग की घटनाएँ घटी हैं, पर हवा बेहतर नहीं हुई। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं भू-स्थिर उपग्रह के आँकड़ों और क्षेत्र की रिपोर्टों से जाँचूंगा कि कहीं पराली जलाना शाम की ओर तो नहीं खिसक गया। मैं कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से निश्चित बुकिंग-समय के साथ अवशेष-मशीनें उपलब्ध कराऊंगा और गट्टर इकट्ठा करने के लिए बायोगैस संयंत्रों को जोड़ूंगा। बार-बार उल्लंघन करने वालों पर दंड बना रहेगा, पर मेरा पैमाना आग की घटी हुई गिनती नहीं, स्वच्छ हवा होगी।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

दोनों खबरें दिखाती हैं कि विदेश में बसे भारतीय उन फ़ैसलों की क़ीमत चुका रहे हैं जो भारत ने लिए ही नहीं। वाशिंगटन ने भारतीय आईटी कंपनियों को ग्रीन कार्ड की पहली सीढ़ी से बाहर कर दिया है, और जिस युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं, वह अब सऊदी अरब के उन हवाई अड्डों तक पहुँच गया है जिनका उपयोग वहाँ रहने वाले 27.4 लाख भारतीय करते हैं। दोनों मामलों में भारत के औज़ार एक जैसे और सीमित हैं: शांत कूटनीति, विविधीकरण और अपने नागरिकों की सुरक्षा की योजनाएँ।

4.1 अमेरिका ने कॉग्निज़ेंट, इन्फ़ोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी को PERM श्रम प्रमाणन से निलंबित किया

मुद्दा US work visas and Indian IT (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित • रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी भारतीय पेशेवर मुख्यतः H-1B वीज़ा पर अमेरिका पहुँचते हैं और फिर नियोक्ता-प्रायोजित ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। सितंबर में अमेरिका ने बिना कारण बताए कॉग्निज़ेंट को श्रम प्रमाणन के चरण से निलंबित कर दिया था।

समाचार (THE NEWS) वाशिंगटन। द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू (रॉयटर्स) की रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के श्रम सचिव कीथ सोंडरलिंग ने 8 अक्टूबर को घोषणा की कि “दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ — कॉग्निज़ेंट, इन्फ़ोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी” स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम (Permanent Labor Certification Program — PERM) से निलंबित कर दी गई हैं; आधिकारिक अधिसूचना का पाठ प्रकाशित नहीं हुआ है। माइक्रोसॉफ़्ट और एडोबी भी निलंबित हैं। PERM रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड का पहला चरण है: नियोक्ता को प्रचलित वेतन का निर्धारण और भर्ती-परीक्षण पूरा करने के बाद श्रम विभाग को यह दिखाना होता है कि किसी विदेशी कर्मचारी को स्थायी रूप से रखने से अमेरिकी कामगारों को नुकसान नहीं होगा। सोंडरलिंग ने धोखाधड़ी का हवाला देते हुए कहा, “हम कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे और न ही लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे”; उनका दावा है कि इन कंपनियों को 2009 से अब तक 2.3 लाख से अधिक H-1B स्वीकृतियाँ और एक लाख से अधिक श्रम प्रमाणन मिले हैं। PERM आवेदन दाखिल हुए बिना किसी कामगार को “प्राथमिकता तिथि” (priority date) नहीं मिलती, यानी ग्रीन कार्ड की कतार में जगह नहीं मिलती।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

विदेशी कामगारों पर अंकुश अमेरिकी नीति का केंद्रीय बिंदु बना → आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा H-1B के उपयोग की कड़ी जाँच → सितंबर में कॉग्निज़ेंट PERM से निलंबित → 8 अक्टूबर को छह आईटी कंपनियाँ, माइक्रोसॉफ़्ट और एडोबी निलंबित → भारतीय कामगार पहले से लंबी ग्रीन कार्ड कतार में प्रवेश नहीं कर पा रहे

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. H-1B अस्थायी है, ग्रीन कार्ड स्थायी; और कतार पर देशवार सीमा लगी है — H-1B विशेष व्यवसायों के लिए गैर-आप्रवासी वीज़ा है, जो तीन वर्ष के लिए मिलता है और छह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है; इसकी वार्षिक सीमा 85,000 है। ग्रीन कार्ड स्थायी निवास देता है; रोज़गार-आधारित कार्ड के लिए प्रायः पहले PERM और फिर आप्रवासी याचिका आवश्यक होती है। अमेरिकी कानून किसी एक देश को रोज़गार-आधारित और परिवार-आधारित ग्रीन कार्डों का प्रति वर्ष केवल 7% देता है, और इसी से भारत का बैकलॉग बनता है। 2. GATS का मोड 4 कामगारों की अस्थायी आवाजाही को ढकता है, स्थायी को नहीं — विश्व व्यापार संगठन का सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Trade in Services — GATS) सेवा-आपूर्ति के चार तरीक़े तय करता है; मोड 4 का अर्थ है प्राकृतिक व्यक्तियों की अस्थायी उपस्थिति, जैसे विदेश में तैनात कोई इंजीनियर। प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही पर इसका अनुलग्नक नागरिकता, निवास या स्थायी रोज़गार से जुड़े उपायों को अपने दायरे से बाहर रखता है। इसलिए ग्रीन कार्ड भारत के WTO संबंधी दावों की परिधि से बाहर है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. प्रवासन के नियम विकसित देशों की नीति पर GS2 की कसौटी हैं — पाठ्यक्रम में “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव” तथा “भारतीय प्रवासी” का स्पष्ट उल्लेख है। वीज़ा पर अंकुश दोनों को छूते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● GATS का मोड 4 किसी अन्य सदस्य के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक व्यक्तियों की अस्थायी उपस्थिति को कहते हैं। ● PERM श्रम प्रमाणन का संचालन अमेरिकी श्रम विभाग करता है, आप्रवासन सेवा नहीं। ● अमेरिकी कानून किसी एक देश के नागरिकों को एक वर्ष में जारी वरीयता-आधारित ग्रीन कार्डों के 7% तक सीमित रखता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. मार आज के नहीं, कल के कामगारों पर पड़ेगी — जिन कामगारों की याचिकाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, वे अब भी H-1B को एक बार में तीन वर्ष तक बढ़वा सकते हैं। पर जिनका PERM दाखिल ही नहीं हुआ, उन्हें प्राथमिकता तिथि नहीं मिल सकती, और छह वर्ष की सीमा के करीब पहुँचे H-1B धारक तभी विस्तार पा सकते हैं जब प्रमाणन समय रहते दाखिल हो गया हो। उधर

	कंपनियाँ काम भारत स्थानांतरित कर सकती हैं, जिससे नीति का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। 2. भारत के पास कानूनी उपचार नहीं, केवल मोल-भाव है — स्थायी निवास GATS के दायरे से बाहर है, इसलिए भारत यह मामला WTO में नहीं ले जा सकता। इसे धोखाधड़ी-रोधी कार्रवाई का रूप दिया गया है और माइक्रोसॉफ्ट व एडोबी के नाम भी हैं, इसलिए मामले के तथ्य सामने आए बिना इसे चुनौती देना कठिन है। भारत की ताकत व्यापार वार्ताओं में है, जहाँ आवाजाही को बाज़ार पहुँच के बदले सौदेबाज़ी में रखा जा सकता है। 3. दृष्टि (Lens) — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: तरीके का विरोध करें, साझेदारी बनाए रखें — जवाबी कार्रवाई से अमेरिकी बाज़ार पर निर्भर भारतीय कंपनियों को ही नुकसान होगा। समझदारी भरा रुख यह होगा कि हर कंपनी के विरुद्ध ठोस आरोप और उचित प्रक्रिया की माँग की जाए, जबकि कंपनियाँ स्थानीय भर्ती बढ़ाएँ और बाज़ारों में विविधता लाएँ, ताकि कोई एक नीति पूरे संबंध की परिभाषा न बन जाए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	विकसित देशों में कुशल प्रवासन पर प्रतिबंध भारत को उतना ही नुकसान पहुँचा सकते हैं जितना शुल्क। भारतीय आईटी कंपनियों के विरुद्ध हाल की अमेरिकी कार्रवाई के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — दोनों पक्षों के प्रमाणों को तौलिए, फिर निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — छह आईटी कंपनियों का PERM निलंबन — PERM को ग्रीन कार्ड के पहले चरण के रूप में समझाइए। 3. मुख्य भाग — आवाजाही भारत का तुलनात्मक लाभ है, इसलिए अंकुश शुल्क की तरह काम करते हैं — मूल्य-वर्धन: सॉडरलिंग का आँकड़ा कि 2009 से 2.3 लाख से अधिक H-1B स्वीकृतियाँ मिलीं; H-1B → PERM → प्राथमिकता तिथि → ग्रीन कार्ड का मार्ग बनाइए और रुकावट का बिंदु चिह्नित कीजिए। 4. मुख्य भाग — पर ऑफ़शोरिंग से झटका नरम पड़ता है, और मोड 4 स्थायी प्रवासन को बाहर रखता है, इसलिए कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है — भारत से सेवा-आपूर्ति में आय बनी रहती है; इसे व्यापार वार्ताओं से जोड़िए। 5. निष्कर्ष — आवाजाही पर बातचीत कीजिए, बाज़ारों में विविधता लाइए — आवाजाही को व्यापार समझौतों में शामिल कीजिए और अमेरिका से परे विस्तार कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या भारत को भारतीय आईटी कंपनियों के अमेरिकी निलंबन के जवाब में जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): नहीं। जवाबी कार्रवाई से अमेरिका से अधिक भारतीय कंपनियों और कामगारों को नुकसान होगा। भारत को आरोपों की जानकारी माँगनी चाहिए, उचित प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए और व्यापार वार्ताओं में आवाजाही का मुद्दा उठाना चाहिए, जबकि कंपनियाँ भर्ती का स्थानीयकरण करें।

4.2 पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिकों की मौजूदगी मानी, हथियों ने रियाद और अभा हवाई अड्डों पर हमला किया; भारत ने परामर्श जारी किया

मुद्दा पश्चिम एशिया युद्ध: ईरान, सऊदी और हूती (कड़ी 9) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी फ़रवरी में ईरान पर अमेरिकी-इज़रायली हमलों से शुरू हुआ युद्ध सऊदी अरब और यमन तक फैल गया है। 5 अक्टूबर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने अगस्त के रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में बल तैनात करने पर सहमति जताई।

समाचार (THE NEWS) रियाद। पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि उसके बल सऊदी अरब में हैं। सैन्य प्रवक्ता लेफ़्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी ने सीएनएन से कहा, “हम पाकिस्तान के बल वहाँ पहले से मौजूद हैं”; उन्होंने भूमिका को “रक्षात्मक प्रकृति” का बताया और संख्या गोपनीय रखी, पीटीआई के अनुसार। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यमन में हथियों पर पाकिस्तानी वायुसेना के हमलों की खबर दी। तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फ़िदान ने कहा कि मक्का समझौता, जिसके तहत एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है, अन्य देशों पर हमले की अनुमति नहीं देता। सऊदी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि हथी हमलों में अभा हवाई अड्डे पर दो लोग मारे गए और 28 घायल हुए, जबकि रियाद के किंग ख़ालिद हवाई अड्डे पर एक की मृत्यु हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने नागरिक ढाँचे को निशाना बनाने को “पूरी तरह अस्वीकार्य” कहा, और दूतावास ने वहाँ रहने वाले लगभग 27.4 लाख भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी। द हिंदू के अनुसार एयर इंडिया ने 10 अक्टूबर तक रियाद की उड़ानें रद्द कर दी हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

फरवरी में ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले → जुलाई में 2022 की यमन संघर्षविराम व्यवस्था टूटी और हथियों ने सऊदी ठिकानों पर हमले किए → पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने मक्का समझौता सक्रिय किया → हथियों के हवाई अड्डों पर हमलों के बीच सऊदी अरब में पाकिस्तानी बलों की पुष्टि → भारत ने निंदा की और मार्च के बाद तीसरा परामर्श जारी किया

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	- रणनीतिक साझेदारी परिषद भारत-सऊदी संबंधों का आधार है — भारत और सऊदी अरब ने अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री की रियाद यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी परिषद (Strategic Partnership Council) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल 2025 से इसकी चार मंत्रिस्तरीय समितियाँ हैं: राजनीतिक-सुरक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था-ऊर्जा-निवेश, और पर्यटन-संस्कृति। सऊदी अरब कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में है और विदेश में बसे सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक का घर भी। - युद्धग्रस्त क्षेत्रों में नागरिकों की रक्षा के लिए भारत के पास स्थायी उपाय हैं — प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (Pravasi Bharatiya Sahayata Kendra) विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन चलाता है, और भारतीय समुदाय कल्याण कोष (Indian Community Welfare Fund) आपात सहायता और स्वदेश वापसी का खर्च उठाता है। 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को निकाला गया था।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा GS2 का बार-बार आने वाला विषय है — पाठ्यक्रम “भारतीय प्रवासी” को “अन्य देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव” से जोड़ता है। खाड़ी के युद्ध दोनों की परीक्षा लेते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। - ऑपरेशन राहत (2015) के तहत यमन से भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। - भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना 2019 में हुई थी। 2009 में बनाया गया भारतीय समुदाय कल्याण कोष भारतीय मिशनों को संकटग्रस्त नागरिकों की आपात सहायता और स्वदेश वापसी के लिए धन देने की सुविधा देता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- पाकिस्तान के नपे-तुले शब्द बताते हैं कि समझौता ईरान से बँधा हुआ है — भूमिका को रक्षात्मक बताने और संख्या गोपनीय रखने से इस्लामाबाद रियाद के प्रति दायित्व निभा सकता है, बिना तेहरान के सहयोगी से खुलकर लड़े। एक्सप्रेस के संपादकीय के अनुसार आक्रामक सहयोग तेहरान की लक्ष्मण-रेखाएँ लाँघ जाएगा। समझौता सऊदी अरब को राजनीतिक समर्थन देता है, प्रतिरोध की क्षमता नहीं, और तुर्किये की शर्त इसे और सीमित कर देती है। - भारत का वक्तव्य जान-बूझकर संकीर्ण रखा गया है — यह नागरिक ढाँचे पर हमलों की निंदा करता है और सऊदी अरब का पक्ष लेता है, पर न ईरान का नाम लेता है, न पाकिस्तान का। इससे रियाद और तेहरान दोनों से भारत के संबंध सुरक्षित रहते हैं और ध्यान अपने नागरिकों पर टिका रहता है। मार्च के बाद यह तीसरा ऐसा वक्तव्य है, जो संकेत है कि भारत अब खाड़ी संबंधी परामर्शों को नियमित संकट-प्रबंधन मानता है। - दृष्टि (Lens) — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: भारत का दाँव लोगों पर है, गठबंधनों पर नहीं — सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिक इस्लामाबाद और रियाद के संबंध गहरे कर सकते हैं, पर भारत सैन्य रूप से उसकी बराबरी नहीं कर सकता और उसे करनी भी नहीं चाहिए। होर्मुज़ पर पाबंदी के बीच बाब-अल-मंदेब से गुज़रता लाल सागर मार्ग, जिससे एक्सप्रेस के अनुसार वैश्विक समुद्री व्यापार का 12% गुज़रता है, भारत की ऊर्जा के लिए कहीं अधिक मायने रखता है। विचारशील अधिकारी आर्थिक संबंध गहरे करेगा, समुद्री मार्गों की रक्षा करेगा और निकासी की योजनाएँ तैयार रखेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत के लिए सऊदी अरब में पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण वहाँ बसे प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा है। टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	- निर्देश — टिप्पणी कीजिए — प्रमाणों सहित तर्कसंगत मत दीजिए। - भूमिका — पाकिस्तान की पुष्टि और हवाई अड्डों पर हमले — प्रत्येक पर एक पंक्ति। - मुख्य भाग — समझौता रक्षात्मक है और ईरान से बाधित, इसलिए रणनीतिक जोखिम सीमित है — फ़िदान और चौधरी के कथनों का उल्लेख कीजिए। - मुख्य भाग — 27.4 लाख भारतीय और हवाई संपर्क ही असली जोखिम हैं — मूल्य-वर्धन: ऑपरेशन राहत; होर्मुज़, बाब-अल-मंदेब और रियाद का मानचित्र बनाइए। - निष्कर्ष — आर्थिक गहराई के साथ निकासी की तैयारी — रणनीतिक साझेदारी परिषद का

	उपयोग कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. हवाई अड्डों पर हमले जारी हैं और आप रियाद में भारत के राजदूत हैं। आपके पहले कदम क्या होंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं भारतीयों के पंजीकरण-डेटाबेस को अद्यतन कराऊँगा, विशेषकर रियाद और अभा के निकट दक्षिणी क्षेत्र में। हेल्पलाइन पर कर्मचारी तैनात रखूँगा, सुरक्षित मार्गों के लिए सऊदी अधिकारियों और विमान कंपनियों से समन्वय करूँगा, और विदेश मंत्रालय के साथ निकासी की योजनाएँ पहले से तैयार रखूँगा।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

प्रशांत महासागर का एक गर्म हिस्सा अब भारत की सर्दियों की पटकथा लिख रहा है। जिस अल नीनो ने मानसून को सुखा दिया, उसके बारे में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का कहना है कि वह 2027 तक बना रहेगा, और उसका अगला बिल दिल्ली की ठहरी हुई हवा और रबी के लिए कम नमी के रूप में आएगा। यहाँ जलवायु कोई दूर का रुझान नहीं, बल्कि इसी मौसम की योजना का एक निर्धारक चर है।

5.1 WMO का अनुमान: प्रबल अल नीनो 2027 तक बना रहेगा, दिल्ली की सर्दियों की वायु-गुणवत्ता का परिदृश्य और बिगड़ेगा

मुद्दा एल नीनो, गर्मी और जल भंडार (कड़ी 4) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी प्रबल होते अल नीनो के कारण मानसून में कमी रही और सितंबर में बिजली की अधिकतम माँग रिकॉर्ड 269 GW तक पहुँच गई। मौसम के अंत में जलाशय अपनी क्षमता के 70% पर थे, जो दस वर्ष के औसत से कम है।

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु, 8 अक्टूबर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने कहा कि अल नीनो अक्टूबर-दिसंबर में चरम पर होगा और 2027 के वसंत तक चलेगा। महासचिव सेलेस्ते साउलो ने फरवरी 2027 तक इसके बने रहने की संभावना को 'लगभग 100 प्रतिशत' बताया और इसे 'कम से कम 1950 के बाद के सबसे प्रबल अल नीनो में से एक' कहा। IE के अनुसार मध्य प्रशांत के निनो 3.4 क्षेत्र में अगस्त में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से 2.5°C अधिक था। अल नीनो, अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) की गर्म अवस्था है और प्रायः भारत में वर्षा को कमजोर करता है। रिपोर्ट किए गए IMD आँकड़ों के अनुसार भारत का मानसून 12.6% की कमी के साथ समाप्त हुआ: 868.6 मिमी के दीर्घावधि औसत के मुकाबले 759.4 मिमी वर्षा, जो 11 वर्षों में सबसे शुष्क मानसून है। IE के एक संपादकीय लेख में SAFAR के संस्थापक गुफ्रान बेग चैतावनी देते हैं कि 'सुपर अल नीनो' उत्तर भारत में हवाओं को कमजोर और पश्चिमी विक्षोभों को दबा देगा, जिससे प्रदूषण ठीक तब फँस जाएगा जब नवंबर के आरंभ में पराली जलाने और दिवाली के पटाखों का दौर चरम पर होगा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

मध्य प्रशांत सामान्य से 0.5°C से अधिक गर्म → मानसून 12.6% कम → अल नीनो 2027 तक कायम → उत्तर भारत में शांत, शुष्क सर्दी → खेतों की आग और पटाखों के चरम पर होने के साथ दिल्ली के ऊपर प्रदूषण फँसा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. अल नीनो ENSO की गर्म अवस्था है, जिसे निनो 3.4 क्षेत्र में मापा जाता है — ENSO भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का महासागर-वायुमंडल चक्र है, जिसकी तीन अवस्थाएँ हैं: गर्म (अल नीनो), तटस्थ और ठंडी (ला नीना); यह हर दो से सात वर्ष में दोहराता है। जब निनो 3.4 क्षेत्र में समुद्री सतह का तापमान लगातार कई महीनों तक सामान्य से कम-से-कम 0.5°C अधिक रहता है, तब अल नीनो घोषित किया जाता है। धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole) भारतीय वर्षा पर इसके प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर सकता है। 2. IMD मानसून को दीर्घावधि औसत के सापेक्ष श्रेणीबद्ध करता है — जून-सितंबर के मौसम का दीर्घावधि औसत (LPA) लगभग 87 सेमी है, जो 1971-2020 की अवधि पर आधारित है। LPA के 90% से कम वर्षा 'अपर्याप्त' (deficient), 90-95% 'सामान्य से कम', 96-104% 'सामान्य', 105-110% 'सामान्य से अधिक' और 110% से ऊपर 'अत्यधिक' मानी जाती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS1 की 'महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएँ' और GS3 का 'पर्यावरण प्रदूषण' यहाँ मिलते हैं — ENSO प्रारंभिक परीक्षा का सदाबहार विषय है; शीतकालीन वायु से उसका संबंध मुख्य परीक्षा में दो प्रश्नपत्रों को जोड़ने वाला संयोजन है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत का निनो 3.4 क्षेत्र अल नीनो और ला नीना की घोषणा के लिए मानक सूचकांक क्षेत्र है। ● IMD दीर्घावधि औसत के 90% से कम मौसमी मानसून वर्षा को 'अपर्याप्त' (deficient) कहता है। ● मानसून का दीर्घावधि औसत लगभग 87 सेमी है, जिसकी गणना 1971-2020 की अवधि पर की गई है। ● SAFAR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु-गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. मौसम समान उत्सर्जन को कहीं अधिक खतरनाक बना सकता है — अल नीनो धुआँ नहीं जोड़ता, किंतु शांत हवाएँ और नीची प्रतिलोमन परत (inversion layer), यानी गर्म हवा का वह ढक्कन जो प्रदूषकों को ऊपर उठने से रोकता है, उसे ज़मीन के पास ही रोके रखते हैं; और पश्चिमी विक्षोभों के बिना कोई वर्षा उसे धो भी नहीं पाती। इस तरह एक जैसा उत्सर्जन भी अधिक खराब हवा पैदा करता है। जो लक्ष्य मौसम-विज्ञान की अनदेखी करते हैं, वे चूकेंगे और उसका दोष गलत ढंग से प्रवर्तन पर डाला जाएगा।

	2. Lens — अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: आपात पाबंदियाँ योजना नहीं हैं — निर्माण और वाहनों पर आपात प्रतिबंध कुछ दिनों की राहत देते हैं और राजनीतिक रूप से आसान हैं। बेग वायुक्षेत्र प्रबंधन (airshed management) की पैरवी करते हैं, जिसमें पूरे सिंधु-गंगा क्षेत्र को एक इकाई माना जाए, और वे ध्यान दिलाते हैं कि NCAP अब भी शहरों को PM10 घटाने पर पुरस्कृत करता है, जिससे धूल को अनुचित महत्त्व मिलता है। विवेकपूर्ण निर्णय यही है कि आपात पाबंदियाँ जारी रखी जाएँ, पर साथ ही क्षेत्रीय, PM2.5 आधारित कार्रवाई को धन दिया जाए जो किसी एक अल नीनो से आगे भी टिके। 3. सूखे की क्रीम रबी और बिजली तक पहुँचती है — कम मृदा नमी और जलाशयों में कम जल रबी की बुवाई को कमजोर करते हैं, और गर्म सर्दी दाना भरने के समय गेहूँ पर दबाव डाल सकती है; गर्मी और कमजोर जलविद्युत उत्पादन ने बिजली की माँग को पहले ही रिकॉर्ड तक पहुँचा दिया है। एक झटका, तीन बिल: भोजन, ऊर्जा और हवा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	समझाइए कि प्रबल अल नीनो उत्तर भारत में शीतकालीन वायु-गुणवत्ता को किस प्रकार और बिगाड़ सकता है। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — समझाइए — क्रियाविधि को चरण-दर-चरण प्रस्तुत कीजिए। 2. प्रस्तावना — WMO को अल नीनो के 2027 तक बने रहने की आशंका — मानसून में 12.6% की कमी का उल्लेख कीजिए। 3. मुख्य भाग — कमजोर हवाएँ और नीची प्रतिलोमन परत प्रदूषकों को फैसाती हैं — एक बॉक्स आरेख बनाइए: गर्म प्रशांत → शांत, शुष्क उत्तर भारत → उथली मिश्रण परत → PM2.5 में वृद्धि। 4. मुख्य भाग — पश्चिमी विक्षोभों की अनुपस्थिति प्राकृतिक वर्षा-धुलाई को समाप्त करती है — मूल्यवर्धन: बेग के अनुसार 5-10 नवंबर ऐतिहासिक रूप से दिल्ली की सबसे खराब अवधि रही है। 5. निष्कर्ष — वायुक्षेत्र आधारित, PM2.5 केंद्रित प्रबंधन की ओर बढ़ें — प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन NARFI का उल्लेख कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप दिल्ली के मुख्य सचिव हैं। मौसम विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बार की सर्दी असामान्य रूप से ठहरी हुई रहेगी। आप इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं सूचकांक के सीमा-स्तर पार करने की प्रतीक्षा करने के बजाय ठहरे हुए दिनों के पूर्वानुमान पर ही चरणबद्ध पाबंदियाँ लागू करूँगा। मैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से कहूँगा कि वह भूस्थिर उपग्रह आँकड़ों से शाम के समय आग की पहचान के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ समन्वय करे। अस्पतालों को नवंबर के आरंभ में श्वसन रोगियों की बढ़ती संख्या के लिए योजना बनाने को कहा जाएगा। जन-संदेशों में समझाया जाएगा कि इस बार की सर्दी अधिक खराब क्यों है, ताकि पाबंदियों को मनमानी न समझा जाए।

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

दोनों खबरें दिखाती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था उस कड़ी पर विफल हो रही है जो रोगी को कभी दिखती ही नहीं। कैंसर की दवाओं में यह वितरण शृंखला है, जहाँ कारखाने और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के बीच लगभग 170% का मार्क-अप बैठा है। बालाघाट में यह ज़िला स्तर की निगरानी है, जहाँ रिक्त पद और अनुपस्थित आशा (ASHA) के कारण इलाज-योग्य बीमारियाँ आदिवासी बच्चों की जान ले रही हैं। दोनों का उपचार एक ही है: साधारण प्रशासन, जो ठीक से किया जाए।

6.1 NPPA द्वारा 170% मार्क-अप पाए जाने के बाद केंद्र गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% पर सीमित करेगा

मुद्दा कैंसर दवाओं की वहीनीयता (कड़ी 4) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य विकास और समता

अब तक की कहानी सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर की दवा पर दस गुना मार्क-अप को 'दिन-दहाड़े डकैती' कहा था, और केरल उच्च न्यायालय ने महँगी कैंसर दवाओं के लिए पेटेंटों के सरकारी उपयोग की अनुमति दी थी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% पर सीमित करेगी। व्यापार मार्जिन वह अंतर है जो वितरक द्वारा निर्माता को दिए गए मूल्य और रोगी द्वारा चुकाए गए MRP के बीच होता है। एक्सप्रेस 110 दवाएँ गिनता है, जिनमें 35 पेटेंटशुदा हैं; द हिंदू के अनुसार ऐसी 'सभी' दवाएँ इसमें आएंगी, जिनकी सूची स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के अधीन एक समिति अंतिम रूप देगी। ब्रांडेड और जेनेरिक, घरेलू और आयातित, पेटेंटशुदा और गैर-पेटेंट, सभी दवाएँ इसके दायरे में हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने औसतन लगभग 170% का व्यापार मार्क-अप पाया, जो कुछ मामलों में 700% तक था। एक्सप्रेस के अनुसार यह लगभग 10 दिनों में लागू हो सकता है और कुछ दवाओं के दाम 70% तक घट सकते हैं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

महँगी कैंसर दवाएँ अधिकतम मूल्य की सीमा से बाहर → शृंखला औसतन 170% का मार्क-अप जोड़ती है → सर्वोच्च न्यायालय ₹2,700 की दवा पर ₹27,000 के MRP को 'नरसंहार' कहता है → NPPA के आँकड़े अंतर को आँकड़ों में बाँधते हैं → केंद्र मार्जिन को 30% पर सीमित करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 केवल अनुसूचित दवाओं के दाम तय करता है — औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश [Drugs (Prices Control) Order], 2013, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) के अंतर्गत जारी किया गया है। राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) में शामिल दवाएँ अनुसूचित होती हैं, और उनके लिए NPPA अधिकतम मूल्य तय करता है। अन्य सभी, यानी गैर-अनुसूचित दवाओं का दाम कंपनी स्वयं तय करती है और वह MRP में वर्ष में 10% से अधिक वृद्धि नहीं कर सकती। 2. NPPA व्यापार मार्जिन पर भी सीमा लगा सकता है — 1997 में स्थापित NPPA, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन DPCO को लागू करता है। मार्जिन की सीमा कारखाने के मूल्य को मुक्त छोड़ती है और केवल यह सीमित करती है कि शृंखला उसमें कितना जोड़ सकती है। 2019 में 42 कैंसर दवाओं पर लगाई गई 30% की सीमा में DPCO की असाधारण परिस्थितियों में कार्रवाई की शक्ति का उपयोग किया गया था (डाउन टू अर्थ); MRP में 91% तक की कमी आई (एक्सप्रेस)।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. दवाओं के दाम GS2 की स्वास्थ्य संबंधी पंक्ति का केंद्र हैं — पाठ्यक्रम 'स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाएँ' पर प्रश्न पूछने की अपेक्षा रखता है। दवाओं पर जेब से होने वाला खर्च इसका सबसे तीखा उदाहरण है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किया गया है और NPPA द्वारा लागू किया जाता है। ● DPCO के अंतर्गत अनुसूचित फ़ॉर्मूलेशन वे दवाएँ हैं जो राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल हैं। ● कोई निर्माता गैर-अनुसूचित फ़ॉर्मूलेशन का MRP वर्ष में अधिकतम 10% ही बढ़ा सकता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. सीमा शृंखला पर चोट करती है, आविष्कारक पर नहीं — यही उसकी शक्ति भी है और कमी भी — चूँकि निर्माता द्वारा वितरक से लिया जाने वाला दाम अच्छा रहता है, इसलिए पेटेंटशुदा दवाओं के बाज़ार में उतारे जाने को हतोत्साहन नहीं मिलता। अधिकारियों ने केवल महँगी दवाएँ चुनीं, क्योंकि सस्ती दवा पर 30% विपणन लागत को नहीं ढक पाएगा। कमी यह है: कोई कंपनी वितरक को अपना दाम बढ़ाकर पुराना MRP बनाए रख सकती है, इसलिए NPPA को कारखाना-मूल्यों पर भी नज़र रखनी होगी। 2. मूल्य सीमाएँ लक्षण का उपचार करती हैं; मार्क-अप विपणन से पैदा होता है — मार्जिन

	इसलिए बड़े हैं क्योंकि ब्रांड रोगी नहीं, चिकित्सक चुनता है। 8 अक्टूबर को चिकित्सा प्रतिनिधि संघों की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर अनैतिक विपणन के विरुद्ध वैधानिक व्यवस्था पर एक समिति गठित करे, क्योंकि 2015 की स्वैच्छिक संहिता अप्रभावी है। उस कानून के बिना दबाए गए मार्जिन प्रोत्साहनों के रूप में लौट सकते हैं। 3. Lens — बाज़ार और राज्य: कैंसर का रोगी मोल-भाव नहीं कर सकता, इसलिए सीमा राज्य तय करता है — NPPA ने खुदरा दुकानों, अस्पतालों और ऑनलाइन फार्मसियों के बीच दामों में भारी अंतर पाया, जो विवश खरीदार की पहचान है। हस्तक्षेप उचित है, किंतु कठोर नियंत्रण दवाओं के बाज़ार में आने में देरी कर सकते हैं। विवेकशील अधिकारी पहले शृंखला पर सीमा लगाएगा और स्टॉक की कमी पर नज़र रखेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	व्यापार मार्जिन का युक्तिकरण मूल्य नियंत्रण की तुलना में हल्का हस्तक्षेप है। भारत में कैंसर की दवाओं को सस्ता बनाने की इसकी क्षमता का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — जाँचिए कि सीमा कैसे काम करती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, फिर निर्णय दीजिए। 2. प्रस्तावना — 170% का निष्कर्ष और 30% की सीमा — व्यापार मार्जिन को एक पंक्ति में परिभाषित कीजिए। 3. मुख्य भाग — यह आविष्कारक को छुए बिना विवश खरीदार को लक्ष्य करती है — मूल्यवर्धन: 2019 की सीमा ने MRP को 91% तक घटाया। कारखाना → वितरक → अस्पताल या खुदरा विक्रेता → रोगी का चित्र बनाकर 30% की सीमा अंकित कीजिए। 4. मुख्य भाग — ऊँचे कारखाना-मूल्य और स्टॉक की कमी बचाव के जोखिम हैं — सीमा के साथ निगरानी भी अनिवार्य है। 5. मुख्य भाग — विपणन में सुधार आगे अवश्य आना चाहिए — सर्वोच्च न्यायालय के 8 अक्टूबर के समिति संबंधी आदेश का उल्लेख कीजिए। 6. निष्कर्ष — सीमा पहला क़दम है — इसे लागू करने योग्य विपणन कानून और जेनेरिक आपूर्ति के साथ जोड़िए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप राज्य के औषधि नियंत्रक हैं। अस्पतालों की फार्मसियाँ अब सीमित मूल्य वाली दवाओं को 'स्टॉक में नहीं' बता रही हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं परीक्षण-खरीद और स्टॉक रजिस्ट्रों के माध्यम से जाँच करूँगा, क्योंकि झूठी कमी रोगियों को मँहगे विकल्पों की ओर धकेलती है। रोके गए स्टॉक या अधिक वसूली के मामले वसूली के लिए NPPA को भेजे जाएंगे। मैं हर अस्पताल फार्मसी में सीमित MRP और एक हेल्पलाइन प्रदर्शित कराऊँगा।

6.2 बालाघाट में बच्चों की मौतें: केंद्र की प्रकोप-दल को ज़िला प्रयोगशाला नहीं मिली, महामारी विशेषज्ञ का पद रिक्त, आशा अनुपस्थित

मुद्दा Tribal child health and disease surveillance (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • विकास और समता

अब तक की कहानी जून से मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के बैगा-बहुल गाँवों में आदिवासी बच्चे बुखार, चकत्तों और घावों के बाद मर रहे हैं; अगस्त में राज्य ने मृतकों की संख्या आठ बताई थी।

समाचार (THE NEWS) बालाघाट, मध्य प्रदेश। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र की राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम (NJORT) ने जून से लगभग 32 आदिवासी बच्चों की मौतों की जाँच में पाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था 'लगभग हर चरण पर' कमज़ोर थी। ज़िला निगरानी इकाई को एक डेटा मैनेजर चला रहा था; ज़िला महामारी विशेषज्ञ और सूक्ष्मजीव विज्ञानी के पद रिक्त थे; कोई ज़िला जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला नहीं थी; और सबसे अधिक प्रभावित गाँव कुंदेकसा में एक वर्ष से अधिक समय से कोई आशा (ASHA), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी गाँव की स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं थी। एक से 13 वर्ष की आयु के इन बच्चों को बुखार, चकत्ते और घाव थे। टीम को 'मिश्रित ज्वरजनित बीमारी का समूह' मिला — 64 नमूनों में से 25 में खसरा, 32 में से 27 में मलेरिया, और डेंगू, चिकनगुनिया तथा एंटरोवायरस के कुछ मामले — किंतु कोई एक कारण स्थापित नहीं हुआ। ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार लगभग 12 की मृत्यु हुई है, और 32 मामले मुआवज़े के लिए चिह्नित किए गए हैं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कुपोषण और अधूरे टीकाकरण वाले दूरस्थ बैगा गाँव → न आशा, न महामारी विशेषज्ञ, न प्रयोगशाला → जुन से खसरा और मलेरिया बिना पहचाने फैले → बच्चे घर पर या पारंपरिक वैद्यों के पास जाने के बाद मरे → केंद्रीय दल सितंबर में रिपोर्ट देता है; मौतें राजनीतिक संकट बन जाती हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. IDSP भारत की प्रकोप पूर्व-चेतावनी प्रणाली है — एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme), जो 2004 में शुरू हुआ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा चलाया जाता है। हर ज़िला निगरानी इकाई को, जिसका नेतृत्व महामारी विशेषज्ञ करता है और जो प्रयोगशालाओं से जुड़ी होती है, असामान्य समूहों को पहचानना और उनकी जाँच करनी चाहिए। रिपोर्टें एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) के माध्यम से आगे जाती हैं। 2. आशा गाँव की व्यवस्था से पहली कड़ी है — आशा कार्यकर्ताओं की रचना 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 1,000 की आबादी पर एक के अनुपात से की गई, जिसे आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में शिथिल कर प्रति बसावट एक कर दिया गया। प्रोत्साहन राशि पर काम करने वाली आशा टीकाकरण और बीमार बच्चों का हिसाब रखती है और उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों तक ले जाती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. आदिवासी स्वास्थ्य GS2 की कमज़ोर वर्गों वाली पंक्ति की परीक्षा लेता है — पाठ्यक्रम 'कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ' पर प्रश्न की अपेक्षा रखता है। बालाघाट में PVTG, कुपोषण और निगरानी की कमियाँ एक साथ आ जुड़ती हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (2004) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ● आशा कार्यकर्ताओं को 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया। ● मध्य प्रदेश के बैगा एक विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) हैं। ● गंभीर तीव्र कुपोषण का अर्थ है ऊँचाई के अनुसार वज़न का WHO माध्यिका से ऋण तीन मानक विचलन से कम होना, या ऊपरी बाँह के मध्य की परिधि का 115 मिमी से कम होना।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. टूटी हुई शृंखला, कोई रहस्यमय बीमारी नहीं — निगरानी एक रिले दौड़ है: आशा नोटिस करती है, ज़िला इकाई समूह को देखती है, प्रयोगशाला कारण का नाम बताती है, फिर कार्रवाई होती है। बालाघाट में लगभग हर धावक अनुपस्थित था। खसरा और मलेरिया का मिश्रण ठीक वही स्थिति है जहाँ प्रयोगशाला मायने रखती है, क्योंकि दोनों के लिए अलग प्रतिक्रिया चाहिए। 2. कुपोषण ने बुखार को मौत में बदल दिया, और डैशबोर्ड ने इसे छिपा लिया — टीम ने बिरसा ब्लॉक के 357 आँगनवाडियों में 604 बच्चे गंभीर तथा 1,985 बच्चे मध्यम तीव्र कुपोषित गिने, फिर भी पोषण ट्रेकर पर केवल 30-35% ही दर्ज थे, और उसके आँकड़े क्षेत्र की माप से भिन्न थे। कोई ज़िला स्क्रीन पर स्वस्थ दिख सकता है जबकि उसके बच्चे क्षीण होते जाते हैं। 3. Lens — स्वतंत्रता और जवाबदेही: दोष रिक्तियों पर डालिए, परिवारों पर नहीं — दो परिवारों ने आशा की सलाह नहीं मानी और एक ने 'माता' को दोषी ठहराया, इसलिए आस्था को दोष देना आसान है। परंतु जो व्यवस्था एक वर्ष से अनुपस्थित हो, उससे भरोसे की अपेक्षा नहीं की जा सकती। विचारशील अधिकारी हर रिक्त पद को भरने की समय-सीमा सार्वजनिक करेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	बालाघाट में बच्चों की मौतें चिकित्सा की विफलता से अधिक रोग-निगरानी की विफलता को दर्शाती हैं। टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — संकीर्ण दायरे में, साक्ष्य के साथ तर्कपूर्ण मत दीजिए। 2. प्रस्तावना — 32 मौतें और NJORT के निष्कर्ष — मिश्रित ज्वरजनित समूह पर दो पंक्तियाँ लिखिए। 3. मुख्य भाग — IDSP की हर कड़ी अनुपस्थित थी — मूल्यवर्धन: ज़िला प्रयोगशाला नहीं, महामारी विशेषज्ञ का पद रिक्त, एक वर्ष से आशा नहीं। आशा → ज़िला इकाई → प्रयोगशाला → कार्रवाई का चित्र बनाकर टूटी कड़ियों को काट दीजिए। 4. मुख्य भाग — कुपोषण और खराब अभिलेखों ने हानि को कई गुना बढ़ाया — 604 गंभीर कुपोषित बच्चों और ट्रेकर पर 30-35% कवरेज का उल्लेख कीजिए। 5. निष्कर्ष — पहले ज़िले में कर्मचारी तैनात कीजिए — डैशबोर्ड से पहले रिक्त पद भरे जाएँ।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप बालाघाट के नए कलेक्टर हैं। पहले 30 दिनों में आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं घर-घर जाकर बुखार और पोषण का सर्वेक्षण कराऊँगा, जिसके लिए पास के गाँवों से आशा कार्यकर्ताओं को बुलाऊँगा, और नमूनों को किसी चालू प्रयोगशाला तक पहुँचाने की व्यवस्था करूँगा। मैं खसरा टीकाकरण का विशेष अभियान चलाऊँगा और हर गंभीर कुपोषित बच्चे का उपचार कराऊँगा। मैं बैगा बुजुर्गों और पारंपरिक वैद्यों को इस काम में जोड़ूँगा ताकि वे बीमार बच्चों को समय रहते रेफर करें।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

भारत अब तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का नियमन मंच-नियमों में संशोधनों और परामर्शों से करता रहा, और यह भी कहता रहा कि AI कानून की ज़रूरत नहीं है। 8 अक्टूबर को यह स्थिति बदल गई। असली कसौटी यह है कि नया ढाँचा स्पष्ट परिभाषाओं और अपील की व्यवस्था वाले कानून के रूप में लिखा जाता है, या उन परामर्शों में ही सिमटा रहता है जिन्हें कोई मंत्रालय रातों-रात बढ़ा सकता है।

7.1 वैष्णव ने AI नियमन पत्र का वादा किया, उधर MeitY ने मंचों से छेड़छाड़ किए गए कंटेंट पर अंकुश लगाने को कहा

मुद्दा Deepfakes and AI regulation (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी: डीपफ़ेक से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन किए गए, जबकि सरकार लंबे समय से कहती रही कि AI के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने गुरुवार, 8 अक्टूबर को एक परामर्श जारी कर सोशल मीडिया मंचों से “छेड़छाड़ किए गए या संदर्भ से कटे कंटेंट” पर अंकुश लगाने का आग्रह किया, जो उन AI डीपफ़ेक से अलग है जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के पूर्ववर्ती संशोधनों के तहत पहले ही हटाया जा सकता है। परामर्श के अनुसार ऐसा कंटेंट “जनता में भ्रम पैदा कर सकता है... लोक व्यवस्था बिगाड़ सकता है।” यह कोकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से ठीक पहले आया है। उसी दिन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि AI नियमन पर परामर्श पत्र एक महीने के भीतर आएगा, जिसके केंद्र में सुरक्षा, डीपफ़ेक (जिसे उन्होंने “उपद्रव” कहा), मानव-प्रथम दृष्टिकोण और कौशल विकास होंगे। उनके अनुसार AI का नियमन “केवल कानून से” नहीं हो सकता; भारत को “तकनीकी-कानूनी समाधान” चाहिए, यानी कानूनी दायित्व जिन्हें लेबल और पहचान जैसे उपकरणों का सहारा मिले।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

जनरेटिव AI से यथार्थ-सदृश नकली सामग्री बनाना सस्ता हुआ → लेबल और त्वरित टेकडाउन अनिवार्य करने के लिए IT नियमों में संशोधन → प्रदर्शन से पहले MeitY ने परामर्श के जरिये दायरा बढ़ाया → AI नियमन पत्र का वादा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. धारा 79 की सुरक्षित पनाह (safe harbour) उचित सावधानी पर निर्भर है — सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 79 बिचौलियों को उपयोगकर्ताओं के कंटेंट की देयता से तब बचाती है जब वह उचित सावधानी बरतता है, और धारा 79(3)(b) के अनुसार गैर-कानूनी कंटेंट की “वास्तविक जानकारी” होने पर अनदेखी करने से यह संरक्षण समाप्त हो जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 [IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021] इसी उचित सावधानी को परिभाषित करते हैं; नियम 3(1)(b) के अनुसार उपयोगकर्ताओं को सूचीबद्ध गैर-कानूनी या झूठा कंटेंट साझा करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करना ज़रूरी है। 2. श्रेया सिंगल (2015) टेकडाउन की सीमा तय करता है — सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66A को अस्पष्ट बताकर रद्द किया और धारा 79(3)(b) की इस प्रकार व्याख्या की कि “वास्तविक जानकारी” का अर्थ न्यायालय का आदेश या सरकारी अधिसूचना है, निजी शिकायत नहीं। न्यायालय ने धारा 69A, यानी केंद्र की अवरोधन शक्ति, को वैध ठहराया, जिसके लिए लिखित कारण दर्ज करना आवश्यक है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 सूचना प्रौद्योगिकी को सोशल मीडिया से उत्पन्न सुरक्षा खतरों से जोड़ता है — पाठ्यक्रम में “सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता” और आंतरिक सुरक्षा में “मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका” का स्पष्ट उल्लेख है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 बिचौलियों को उचित सावधानी की शर्त पर तृतीय-पक्ष कंटेंट की देयता से “सुरक्षित पनाह” देती है। ● श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम की धारा 66A को रद्द किया और धारा 69A को वैध ठहराया। ● फ़रवरी 2026 में अधिसूचित IT नियम, 2021 के संशोधन “कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना” को परिभाषित करते हैं और उस पर लेबल लगाना अनिवार्य करते हैं। ● अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था वाक्-स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध का एक आधार है; भ्रामक सूचना (misinformation) सूचीबद्ध आधार नहीं है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. “संदर्भ से कटे” कंटेंट पर निगरानी डीपफ़ेक से कठिन है — डीपफ़ेक गद्दी हुई फ़ाइल है, इसलिए उसे परिभाषित, लेबल और पहचाना जा सकता है। असली वीडियो पर झूठा कैप्शन ऐसा नहीं है; उसका नुकसान उससे जुड़े दावे में होता है। संदर्भ का निर्णय करने से मंच सत्य के निर्णायक बन जाते हैं, इसलिए यह परामर्श असमान रूप से लागू होगा।

	2. दृष्टि (Lens) — नवाचार और रक्षोपाय : नकली सामग्री से परामर्श नहीं, कानून से लड़ें — नुकसान वास्तविक है : तनावपूर्ण प्रदर्शन से ठीक पहले जारी कोई नकली सामग्री हिंसा भड़का सकती है। पर विपक्ष से जुड़े प्रदर्शन की पूर्व-संध्या पर जारी परामर्श इस आरोप को न्योता देता है कि “लोक व्यवस्था” राजनीतिक अभिव्यक्ति को सीमित करने की आड़ है; इसी आशंका पर बंबई उच्च न्यायालय ने 2024 में सरकारी तथ्य-जॉच इकाई को रद्द कर दिया था। विचारशील अधिकारी नए ढाँचे में संकीर्ण परिभाषाएँ, सकारण आदेश और अपील की व्यवस्था लिखेंगे। 3. उद्योग पर बोझ डालने की एक क्रीमत है — मंत्री ने कहा कि “अधिकांश ज़िम्मेदारी” उद्योग की है। बड़े मंच पहचान और स्रोत-प्रमाणन (provenance) के उपकरणों का खर्च उठा सकते हैं; भारतीय स्टार्ट-अप शायद नहीं, इसलिए भारी अनुपालन स्थापित कंपनियों के पक्ष में जाता है। दायित्व जोखिम और आकार के अनुसार बढ़ने चाहिए, जैसा यूरोपीय संघ के AI अधिनियम में है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	परीक्षण कीजिए कि क्या भारत का मध्यवर्ती नियमों वाला तरीका डीपफ़ेक से निपट सकता है, या एक समर्पित AI कानून की आवश्यकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — दोनों रास्तों को परखिए, फिर निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — 8 अक्टूबर का परामर्श और वादा किया गया AI पत्र कानून की ओर बदलाव का संकेत है — डीपफ़ेक को परिभाषित कीजिए। 3. मुख्य भाग — IT नियम लेबल और टेकडाउन से गति देते हैं, पर वे प्रत्यायोजित विधान हैं — मूल्य-वर्धन : “वास्तविक जानकारी” पर श्रेया सिंगल (2015)। 4. मुख्य भाग — “संदर्भ से कटे” जैसी अस्पष्ट श्रेणियों पर परामर्श राजनीतिक अभिव्यक्ति पर शीतलन प्रभाव डाल सकते हैं — बंबई उच्च न्यायालय, 2024। 5. मुख्य भाग — जोखिम-आधारित कानून पूरी शृंखला में दायित्व बाँट सकता है — आरेख : डेवलपर → मंच → उपयोगकर्ता, प्रत्येक चरण का दायित्व (वॉटरमार्क, लेबल, रिपोर्ट) अंकित कीजिए। 6. निष्कर्ष — संकीर्ण कानून बनाइए, सकारण आदेश और अपील के साथ — परामर्श नहीं, संसद के ज़रिये।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप ज़िला मजिस्ट्रेट हैं और प्रदर्शन की पूर्व-संध्या पर एक सांप्रदायिक घटना का डीपफ़ेक फैल रहा है। आप क्या करेंगे ? दृष्टिकोण (Approach): साइबर सेल के माध्यम से तेज़ी से सत्यापन करूँगा और उन्हीं मंचों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करूँगा। लोक-व्यवस्था के खतरे को दर्ज करते हुए नोडल अधिकारी के ज़रिये सकारण टेकडाउन अनुरोध भेजूँगा। पूरे इंटरनेट को बंद करने से बचूँगा, और स्रोत पर मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य सुरक्षित रखूँगा।

8. समाज (Society)

बाँध एक बार बनता है; पुनर्वास एक पीढ़ी भर भोगा जाता है। पन्ना में आदिवासी परिवार पानी में खड़े होकर कह रहे हैं कि 2013 के भूमि कानून का वादा देरी, गलत मूल्यांकन और बिचौलियों में खोता जा रहा है। राज्य ने पैकेज बढ़ा दिया है; अब विफलता क्रियान्वयन में है, और क्रियान्वयन ज़िले का काम है।

8.1 पन्ना के आदिवासियों का मझगाँव बाँध के मुआवज़े और पुनर्वास को लेकर महीने भर से जल सत्याग्रह

मुद्दा River-linking and displacement (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता • विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी सूखा-प्रवण बुंदेलखंड को पानी देने के लिए बनाई जा रही केन-बेतवा लिंक और छतरपुर व पन्ना में उससे जुड़े राज्य के बाँधों से मुख्यतः आदिवासी गाँव विस्थापित होते हैं।

समाचार (THE NEWS) पन्ना, मध्य प्रदेश। द हिंदू के अनुसार 11 सितंबर से अजयगढ़ उप-संभाग के ग्रामीण बनहरी कलाँ में राज्य की मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के विरुद्ध जल सत्याग्रह (पानी में खड़े होकर विरोध) कर रहे हैं। ₹693 करोड़ के इस बाँध के लिए आठ गाँवों में 1,552 हेक्टेयर भूमि चाहिए और चार गाँवों के 1,450 परिवार विस्थापित होंगे; यह 43 गाँवों के 8,370 हेक्टेयर में सिंचाई करेगा। सरकारी अभिलेखों के अनुसार 1,006 भू-स्वामियों में से 97.43% को ₹194.86 करोड़ का भुगतान हो चुका है और 1,219 परिवारों को ₹5 लाख का पुनर्वास अनुदान मिला है; 231 परिवारों का भुगतान उत्तराधिकार के मामलों या दस्तावेज़ों की कमी के कारण लंबित है। 10 जुलाई को राज्य ने पैकेज बढ़ाकर ₹12.5 लाख कर दिया, जो केन-बेतवा लिंक के बराबर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मकानों का मूल्य कम आँका गया, लोगों को गलत ढंग से सूची से बाहर किया गया, 16 फ़रवरी 2024 की कट-ऑफ़ तिथि थोपी गई और रिश्तत माँगी गई; एक राजस्व अधिकारी ₹47,000 लेते पकड़ा गया। कलेक्टर उषा परमार समस्याएँ मानती हैं, पर प्रदर्शन को राजनीतिक बताती हैं।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बुंदेलखंड का दीर्घकालिक सूखा → केन-बेतवा लिंक और छतरपुर व पन्ना में राज्य के बाँध → 2018 से अधिग्रहण, किस्तों में भुगतान → जुलाई के प्रदर्शनों के बाद पैकेज बढ़कर ₹12.5 लाख → बहिष्करण, कम मूल्यांकन और रिश्तत ग्रामीणों को फिर पानी में उतार देते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. 2013 का भूमि कानून प्रभाव अध्ययन, सहमति और पुनर्वास अनिवार्य करता है — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013] ने 1894 के अधिनियम का स्थान लिया। यह निजी परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों के 80% और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए 70% की सहमति तथा सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) अनिवार्य करता है; मझगाँव जैसी विशुद्ध सरकारी परियोजनाओं में इनकी आवश्यकता नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकर बाज़ार मूल्य का चार गुना तक हो सकता है; पुनर्वास के अधिकार इसके अतिरिक्त मिलते हैं। 2. आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की सुनवाई ज़रूरी है — पेसा (PESA), 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन और पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श अनिवार्य है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act) वनवासियों के अधिकारों का निपटारा होने से पहले उन्हें बेदखल करने पर रोक लगाता है। नियमगिरि मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने बॉक्साइट खनन का निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा था।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. विकास-जनित विस्थापन GS1 और GS3 दोनों में आता है — GS1 में “वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव” है; GS3 में “भूमि सुधार” और “अवसंरचना”।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● RFCTLARR अधिनियम, 2013 निजी परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों के 80% और PPP परियोजनाओं के लिए 70% की सहमति अनिवार्य करता है। ● पेसा, 1996 के अनुसार पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में भूमि अर्जन से पहले ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श आवश्यक है। ● अंतर-बेसिन जल अंतरण की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1980 की है; लिंक परियोजनाओं के अध्ययन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) करता है। ● केन-बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली है; NWDA के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 8 दिसंबर 2021 को लगभग ₹44,605 करोड़ की लागत पर मंजूरी दी थी।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. कानून कागज़ पर उदार है; क्रियान्वयन में विफल हो रहा है — राज्य लगभग सभी भू-स्वामियों को भुगतान कर चुका है और पैकेज ढाई गुना बढ़ा चुका है, फिर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 2018 से टुकड़ों में मिला पैसा मकान दोबारा खड़ा नहीं कर सकता, और सर्वेक्षण की एक

	गलत प्रविष्टि, जैसे पक्के मकान को कच्चा दर्ज कर देना, परिवार का भविष्य तय कर देती है। 2. दृष्टि (Lens) — विकास और समता: जो ज़मीन छोड़ते हैं, उन्हें लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए — तैंतालीस गाँवों को पानी मिलता है; चार डूबते हैं ताकि उसकी क्रोमत चुकाई जा सके। जिन छोटे किसानों के पास कोई दूसरा धंधा नहीं, उनके लिए नक़द ज़मीन का विकल्प नहीं होता, इसीलिए “ज़मीन के बदले ज़मीन” की माँग उठती है। विचारशील अधिकारी जहाँ भूमि दुर्लभ हो वहाँ नक़द देगा, पर साथ में परियोजना में रोज़गार और सिंचाई के जल पर प्राथमिक अधिकार भी जोड़ेगा। 3. पुनर्वास में लैंगिक पूर्वाग्रह छिपा हो सकता है — पहला ₹5 लाख पुरुष मुखिया को गया; सम्मत पाल जैसी विधवाएँ सूचियों से गायब हैं। कलेक्टर अब संयुक्त खाते माँग रही हैं, जो पहले सर्वेक्षण से ही नियम होना चाहिए था, और विधवाओं को अलग परिवार गिना जाना चाहिए, जैसा 2013 के अधिनियम में “परिवार” की परिभाषा अपेक्षित करती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत में विकास-जनित विस्थापन कानून की विफलता से अधिक क्रियान्वयन की विफलता है।” नदी-जोड़ परियोजनाओं के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — कानून को क्रियान्वयन के सामने तौलिए; निर्णय दीजिए। 2. भूमिका — पन्ना का जल सत्याग्रह — केन-बेतवा: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की 30 लिंक परियोजनाओं में पहली। 3. मुख्य भाग — 2013 का अधिनियम और पेसा कागज़ पर मज़बूत अधिकार देते हैं — मूल्य-वर्धन: 70-80% सहमति; नियमगिरि (2013)। 4. मुख्य भाग — क्रियान्वयन सर्वेक्षण, मूल्यांकन, किस्तों में भुगतान और बिचौलियों के स्तर पर विफल होता है — आरेख: सर्वेक्षण → मूल्यांकन → पात्रता सूची → भुगतान → पुनर्वास, प्रत्येक चरण का रिसाव अंकित कीजिए। 5. मुख्य भाग — कानून में भी कमियाँ हैं: सरकारी परियोजनाओं के लिए सहमति नहीं, कट-ऑफ़ तिथियाँ कठोर — विधवाएँ छूट जाती हैं। 6. निष्कर्ष — सार्वजनिक सूचियाँ, एकल-खिड़की शिकायत निवारण, डूब से पहले पुनर्वास — जहाँ संभव हो, ज़मीन के बदले ज़मीन।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप पन्ना के कलेक्टर हैं और 231 परिवारों का भुगतान बाक़ी है तथा रिश्वत की शिकायतें आई हैं। इस महीने आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): भुगतान किए गए और लंबित, दोनों की राशि के साथ पात्रता सूची हर गाँव में और ऑनलाइन प्रकाशित करूँगा, तथा प्रदर्शन स्थल पर दस्तावेज़ शिविर लगवाऊँगा। उत्तराधिकार विवादों को समय-सीमा के साथ राजस्व न्यायालय को और रिश्वत की शिकायतों को लोकायुक्त को भेजूँगा। ऐसे प्रदर्शन संवाद से सबसे जल्दी समाप्त होते हैं, गिरफ़्तारी से नहीं।

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

माओवादियों से लड़ने वाले, सीमाओं की रक्षा करने वाले और चुनावों को सुरक्षित रखने वाले बल अब ऐसे कानून से शासित हैं जिसकी वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्णय नहीं दिया है। सुनवाई से एक सप्ताह पहले अधिनियम को लागू करके केंद्र ने एक लंबित प्रश्न को कार्यरत व्यवस्था बना दिया है, और सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं।

9.1 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैधता की जाँच से एक सप्ताह पहले केंद्र ने CAPF अधिनियम लागू किया

मुद्दा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैडर और IPS प्रतिनियुक्ति (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी: सर्वोच्च न्यायालय के मई 2025 के निर्णय ने केंद्र से कहा था कि CAPF में IPS प्रतिनियुक्ति को क्रमशः घटाया जाए। 2026 का अधिनियम किसी भी निर्णय के बावजूद IG के 50% पद, ADG के कम से कम 67% पद और सभी DG पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित करता है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। द हिंदू के अनुसार, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 (Central Armed Police Forces (General Administration) Act, 2026) को संसद से पारित होने के लगभग पाँच महीने बाद 8 अक्टूबर से लागू कर दिया है। प्रारंभ, यानी वह तिथि जिससे पारित कानून बाध्यकारी होता है, अधिसूचना द्वारा तय की गई। कार्यरत अधिकारियों ने अधिनियम को चुनौती दी है, जिनमें CRPF के सहायक कमांडेंट बिभोर कुमार सिंह भी हैं, जो शौर्य चक्र विजेता हैं और 2022 में बिहार में माओवादी-विरोधी अभियान में अपने दोनों पैर गँवा चुके हैं। 30 सितंबर को न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ की पीठ ने तय किया कि 15 अक्टूबर को उन अवमानना याचिकाओं की सुनवाई होगी जिनमें आरोप है कि केंद्र ने 23 मई 2025 के निर्णय को पूरी तरह लागू नहीं किया, और साथ में अधिनियम के विरुद्ध तीन रिट याचिकाएँ भी सुनी जाएंगी। PRS के अनुसार अधिनियम CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के समूह क के अधिकारियों पर लागू होता है और केंद्र को किसी भी न्यायालयीन निर्णय के बावजूद कैडर नियम बनाने देता है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कैडर अधिकारी शीर्ष पदों से वंचित → मई 2025 का निर्णय प्रतिनियुक्ति क्रमशः घटाने का आदेश देता है → संसद ने उसे निरस्त करने वाला अधिनियम पारित किया (अप्रैल 2026) → चुनौती और अवमानना मामले साथ जोड़े गए → सुनवाई से एक सप्ताह पहले अधिनियम लागू

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	- मई 2025 के निर्णय ने CAPF के कैडर अधिकारियों को एक संगठित सेवा माना — सर्वोच्च न्यायालय के 23 मई 2025 के निर्णय ने CAPF के समूह क अधिकारियों को सभी प्रयोजनों के लिए संगठित समूह क सेवा (Organised Group A Service) माना। उसने केंद्र से कैडर की समीक्षा करने और वरिष्ठ पदों पर IPS प्रतिनियुक्ति को क्रमशः घटाने को कहा। - संसद किसी निर्णय का आधार हटा सकती है, पर उसे सीधे पलट नहीं सकती — विधायिका उस दोष को दूर कर सकती है जो न्यायालय ने पाया, यहाँ तक कि भूतलक्षी प्रभाव से भी। वह किसी निर्णय को निष्प्रभावी घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि यह न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण होगा। न्यायालय ने इसे Madras Bar Association v Union of India (2021) में दोहराया, जो अधिकरणों से संबंधित उन प्रावधानों पर था जो उसके द्वारा रद्द की गई बातों को फिर से लागू करते थे।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	CAPF का नेतृत्व GS3 का प्रश्न है, केवल सेवा-विवाद नहीं — GS3 में “विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ और उनके अधिदेश” पूछे जाते हैं; CAPF का नेतृत्व कौन करे, यह उसकी जीवंत परीक्षा है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- संघ सूची की प्रविष्टि 2क, जो 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ी गई, नागरिक शक्ति की सहायता के लिए किसी राज्य में संघ के सशस्त्र बलों की तैनाती से संबंधित है। - BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की, ITBP चीन की सीमा की, और SSB नेपाल तथा भूटान की सीमाओं की रक्षा करता है। - न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) के अंतर्गत सिविल अवमान किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश या निर्देश की जानबूझकर की गई अवज्ञा है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	- अधिनियम का प्रारंभ अवमानना मामले को पहले और बाद में बाँट देता है — 8 अक्टूबर तक प्रतिनियुक्ति केवल निर्णय से शासित थी, इसलिए पहले की चूके अवमानना के लिए खुली रहती हैं। अब केंद्र कहेगा कि वह कानून के अंतर्गत कार्य कर रहा है, इसलिए पीठ को बाद की अवधि पर निर्णय देने से पहले वैधता तय करनी होगी। - लेंस — स्वतंत्रता और जवाबदेही: पहले कार्रवाई कर देने से न्यायालय के पलटने की गुंजाइश घटती है — न्यायालय किसी कानून पर शायद ही रोक लगाते हैं, इसलिए जब तक अधिनियम गिरता नहीं, उसके अंतर्गत की गई तैनातियाँ बनी रहेंगी। शीघ्र प्रारंभ वैध है, पर ज़मीनी तथ्य

	गढ़ देता है। एक विवेकशील अधिकारी वरिष्ठ तैनातियों को मामले के परिणाम के अधीन रखेगा। 3. IPS अधिकारियों के पक्ष में परिचालन संबंधी तर्क वास्तविक है, पर वह हर शीर्ष पद तक नहीं पहुँचता — केंद्र का तर्क है कि IPS अधिकारी CAPF को राज्य पुलिस से जोड़ते हैं, जिसकी हर तैनाती में ज़रूरत पड़ती है। कैडर अधिकारी जवाब देते हैं कि वे माओवादी इलाकों और सीमाओं पर सैनिकों का नेतृत्व करते हैं, और जिस बल के अधिकारी शीर्ष तक नहीं पहुँच सकते, उसका मनोबल गिरता है। प्रतिनियुक्ति का छोटा हिस्सा समन्वय का काम करेगा और पदोन्नति की सीढ़ी को बंद भी नहीं करेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	आंतरिक सुरक्षा अभियानों की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ पदों को IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित करने के पक्ष का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	निर्देश — मूल्यांकन कीजिए — प्रत्येक तर्क को तौलिए और निर्णय दीजिए। प्रस्तावना — सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के बीच अधिनियम लागू है — 2025 का निर्णय और 15 अक्टूबर की सुनवाई। मुख्य भाग — IPS अधिकारी राज्य पुलिस से वह समन्वय लाते हैं जो तैनातियों को चाहिए — पुलिस राज्य का विषय है। मुख्य भाग — बंद सीढ़ी से क्षेत्रीय अनुभव और मनोबल की हानि होती है — मूल्य-वर्धन: संगठित समूह की सेवा पर मई 2025 का निर्णय। प्रवाह-चित्र: निर्णय, अधिनियम, अधिसूचना, सुनवाई। उपसंहार — प्रकाशित कैडर समीक्षा के बाद तय किया गया प्रतिनियुक्ति का अल्पांश — समन्वय के साथ पदोन्नति की न्यायसंगत सीढ़ी।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. किसी CAPF के महानिदेशक के रूप में, अधिनियम को चुनौती मिलने के दौरान आप कैडर अधिकारियों की प्रतिबद्धता कैसे बनाए रखेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं अधिकारियों को साफ़ बताऊँगा कि अधिनियम लागू है, उसकी वैधता सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, और मुकदमा लड़ने से उनकी तैनाती पर असर नहीं पड़ेगा। क्षेत्रीय कमान केवल योग्यता के आधार पर दी जाएँगी, और मैं कैडर समीक्षा प्रकाशित करने पर ज़ोर दूँगा ताकि शिकायतें एक प्रक्रिया के भीतर आगे बढ़ें।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

प्रकरण 1 — “कहानी नहीं, स्टाफ़ की कमी दुरुस्त कीजिए”: कलेक्टर और बालाघाट के बैगा बच्चे

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस (8 अक्टूबर) की रिपोर्ट है कि केंद्र की राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम (National Joint Outbreak Response Team) ने पाया कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में जून से अब तक लगभग 32 आदिवासी बच्चों की मृत्यु खसरा, मलेरिया और अन्य संक्रमणों के मिले-जुले बुखार प्रकोप से हुई है। ज़िले की निगरानी इकाई एक डेटा मैनेजर के भरोसे चल रही थी, ज़िला महामारी विशेषज्ञ का पद रिक्त था, ज़िला जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला थी ही नहीं, और सबसे अधिक प्रभावित गाँव में एक वर्ष से अधिक समय से कोई आशा कार्यकर्ता नहीं थी। राज्य ने पहले आठ मौतें गिनाई, स्वास्थ्य अधिकारी अब लगभग 12 बता रहे हैं, फिर भी मुआवज़े के लिए 32 मामले चिह्नित किए गए हैं। मान लीजिए आप कलेक्टर हैं। राज्य की राजधानी से जल्दी में कोई एक व्यक्तिगत दोषी चाहिए, शायद निलंबित की गई कोई ए.एन.एम.। आपके अपने आँकड़े बताते हैं कि परिवारों ने अक्सर अस्पताल के बजाय पारंपरिक वैद्य को चुना, और यह भी कि आपके ही विभाग ने पद खाली छोड़ रखे थे।

प्रश्न 1. यह किसकी विफलता है: देरी करने वाले परिवार की, अग्रपंक्ति कार्यकर्ता की, या उस व्यवस्था की जिसने पद रिक्त छोड़ दिया? यहाँ कौन-से मूल्य टकरा रहे हैं?

प्रश्न 2. अगले 72 घंटों में आप क्या करेंगे और अगले छह महीनों में क्या?

प्रश्न 3. राजनीतिक दबाव में आप मृतकों की संख्या और अपने ही विभाग की चूकों की सच्ची रिपोर्ट कैसे देंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- जवाबदेही वहाँ तय हो जहाँ रोकथाम की शक्ति थी** — “माता” में आस्था रखकर चलने वाला परिवार समझे जाने योग्य कारण है, दोषी नहीं। जिस आशा ने अस्पताल जाने की सलाह दी, उसने अपना कर्तव्य निभाया; परंतु जिस गाँव को एक वर्ष तक आशा के बिना छोड़ दिया गया, वह प्रबंधकीय विफलता है। सुर्खियों को संतुष्ट करने के लिए किसी कनिष्ठ कर्मचारी को निलंबित करना सबसे कमज़ोर कड़ी को दंडित करना है। ज़िम्मेदारी रिक्त पद, अनुपस्थित प्रयोगशाला और बेमेल आँकड़ों पर तय कीजिए।
- पहले आपात राहत, फिर व्यवस्था का पुनर्निर्माण** — 72 घंटों में: चल स्वास्थ्य दल, खसरा टीकाकरण की छूटी कड़ी, मलेरिया जाँच और रेफ़रल परिवहन, तथा तीव्र कुपोषण का उपचार। छह महीनों में: राज्य के माध्यम से महामारी विशेषज्ञ, सूक्ष्मजीव विज्ञानी और आशा के पद भरना, निगरानी, टीकाकरण और पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) के अभिलेखों को आपस में जोड़ना, और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों का साप्ताहिक वज़न लेने का प्रशिक्षण देना। अनुच्छेद 21 तथा जन-स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा अनुच्छेद 47 (नीति निदेशक तत्व) इन सभी कदमों के पीछे का कर्तव्य है।
- आस्था का सम्मान कीजिए, पर अस्पताल को वैद्य से अधिक निकट बनाइए** — बैगा बुजुर्गों और पारंपरिक वैद्यों को प्रतिद्वंद्वी नहीं, रेफ़रल सहयोगी बनाकर साथ लीजिए। समुदाय की ही आशाओं को लगाइए, बीमार बच्चों को अस्पताल तक साथ ले जाइए और आने-जाने का खर्च वहन कीजिए। स्वास्थ्य-सेवा लेने का व्यवहार आदेश से नहीं, भरोसे से बदलता है।
- निष्कर्ष** — स्पष्टवादिता ही जन-स्वास्थ्य का पहला उपाय है — स्रोतों सहित मिलान की हुई मृतक सूची प्रकाशित कीजिए, इस निष्कर्ष को स्वीकार कीजिए कि स्टाफ़ की कमी ने योगदान दिया, और रिक्तियों की बात लिखित में ऊपर तक भेजिए। ईमानदार आँकड़े अगले बच्चे की रक्षा करते हैं; गढ़ी हुई कहानी केवल अधिकारी की रक्षा करती है।

प्रकरण 2 — “तीस प्रतिशत आपूर्ति को मार देगा”: मूल्य निर्धारण अधिकारी और कैंसर-औषधि का मार्जिन

परिदृश्य (SCENARIO) द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस (9 अक्टूबर) की रिपोर्ट है कि केंद्र गैर-अनुसूचित कैंसर-रोगी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम MRP का 30% तय करेगा; इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस सूची में 110 दवाएँ हैं, जिनमें 35 पेटेंटशुदा हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने औसतन लगभग 170% का मार्क-अप पाया, जो कुछ मामलों में 700% तक पहुँचा। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले माह एक ऐसी दवा का उल्लेख किया जिसका MRP ₹27,000 था और जो खुदरा विक्रेताओं को ₹2,700 में दी जा रही थी। मान लीजिए आप सूची को अंतिम रूप देने वाले वरिष्ठ अधिकारी हैं। निर्माताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चेतावनी देता है कि 30% से कुछ दवाएँ अव्यवहार्य हो जाएँगी और कमी पैदा होगी। एक कार्यकारी, जो आपका पूर्व सहपाठी है, निजी ब्रीफ़िंग की पेशकश करता है और संकेत देता है कि छोटी सूची “उचित” रहेगी। एक रोगी समूह कहता है कि देरी का हर सप्ताह परिवारों की जमा-पूँजी निगल रहा है।

प्रश्न 1. यहाँ कौन-से हित आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और सहपाठी की पेशकश हितों का टकराव है या सूचना का वैध स्रोत?

प्रश्न 2. आप सूची और मार्जिन का निर्णय कैसे करेंगे, और कमी के तर्क का क्या करेंगे?

प्रश्न 3. निजी ब्रीफ़िंग और देरी के दबाव से आप कैसे निपटेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **वैध साक्ष्य और निजी प्रभाव को अलग कीजिए** — उद्योग को सुने जाने का अधिकार है, इसलिए उसके आँकड़े एक औपचारिक, अभिलेखित परामर्श में मँगाइए जो रोगी समूहों और वितरकों के लिए भी समान रूप से खुला हो। मित्र की ओर से निजी ब्रीफिंग में, कुछ अनुचित न कहे जाने पर भी, पक्षपात की धारणा बनती है। उसे अस्वीकार कीजिए, इस संपर्क की जानकारी विभागाध्यक्ष को दीजिए, और यदि कोई वास्तविक हित हो तो निर्णय-प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर लीजिए।
2. **विधि के भीतर रहकर, जनहित के साक्ष्य के आधार पर निर्णय कीजिए** — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) के अंतर्गत जारी औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (Drugs (Prices Control) Order) के तहत मूल्य नियंत्रण आनुपातिक और तर्कसंगत होना चाहिए। सूची बाज़ार-आँकड़ों तथा लागत, भारत में अनुमोदन और बार-बार उपयोग की कसौटियों पर बनाइए, और इस दावे की जाँच कीजिए कि सस्ती दवा पर 30% का मार्जिन लागत नहीं निकाल सकता। जहाँ कोई दवा सचमुच अव्यवहार्य हो, वहाँ पूरी सूची को कमज़ोर करने के बजाय लिखित कारण के साथ केवल उसी प्रविष्टि में समायोजन कीजिए।
3. **कमी के जोखिम का उत्तर पीछे हटना नहीं, निगरानी है** — रिपोर्टिंग की एक अवधि तय करके आपूर्ति पर नज़र रखिए, जमाखोरी या बाज़ार से दवा हटाने पर कार्रवाई कीजिए, और समीक्षा का प्रावधान रखिए। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 किफ़ायती स्वास्थ्य-सेवा को राज्य का कर्तव्य बनाते हैं, और देरी की क्रोमत सबसे बीमार को चुकानी पड़ती है।
4. **निष्कर्ष** — पारदर्शिता ही अधिकारी की ढाल है — कारणों को अभिलेखित कीजिए, कार्यप्रणाली प्रकाशित कीजिए, और परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर अडिग रहिए। जो निर्णय रोगी, निर्माता और न्यायालय, तीनों को समझाया जा सके, वही बचाव-योग्य निर्णय है।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
स्टारलिनक — GMPCS लाइसेंस का अर्थ सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं	संचार मंत्रालय ने कहा कि अभी तक किसी भी आवेदक को सैटकॉम सेवाएँ शुरू करने की मंजूरी नहीं मिली है: तीनों GMPCS लाइसेंसधारी (स्टारलिनक, भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटलाइट कम्युनिकेशंस) सुरक्षा आकलन से गुज़र रहे हैं, जिसके बाद लाइसेंसधारी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 1-2; द हिंदू पृ. 15)। GMPCS का पूरा रूप है उपग्रह द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार (Global Mobile Personal Communication by Satellite)। स्टारलिनक के पास IN-SPACe का अंतिम प्राधिकार भी है, जो अंतरिक्ष विभाग का निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने वाला निकाय है।
नीलेकणि कार्यबल — NEET अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ओर	NEET विरोध-प्रदर्शनों के बाद 26 जुलाई को गठित, नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाले छह सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यबल (High Powered Task Force) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के शपथ-पत्र के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने लगभग 18 बैठकें और 40 से अधिक परामर्श किए, “Listen at Scale” नाम का सार्वजनिक पोर्टल चलाया, और अगले वर्ष से NEET कलम-कागज़ के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में बदल जाएगी (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 8)। NEET का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) करती है; सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024] पेपर लीक के विरुद्ध केंद्रीय कानून है।
अस्पृश्यता — अनुच्छेद 17, PCR अधिनियम और अत्याचार निवारण अधिनियम	अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण को दंडनीय अपराध बनाता है। यह अपराध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 [Protection of Civil Rights Act, 1955, पूर्व नाम अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम] द्वारा परिभाषित और दंडित किया गया है; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989] इन समुदायों के सदस्य न होने वालों द्वारा किए गए अत्याचारों से संबंधित है। 9 अक्टूबर की द हिंदू की एक परिचर्चा ने प्रश्न उठाया कि क्या केवल कानूनी गारंटियाँ इस प्रथा को समाप्त कर सकती हैं (द हिंदू पृ. 9)।
दिल्ली की निष्कांत संपत्तियाँ — क़ब्ज़ा, पर स्वामित्व नहीं	दिल्ली सरकार विभाजन-काल की 683 निर्मित संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगी, जो पाकिस्तान से आए परिवारों को आवंटित हुई थीं और जिनमें उन्हें क़ब्ज़ा तो दिया गया पर स्वामित्व अधिकार नहीं; निष्कर्ष केंद्र को भेजे जाएंगे (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 4)। इसका कानूनी ढाँचा निष्कांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 [Administration of Evacuee Property Act, 1950] है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति निष्कांत संपत्ति के संरक्षक (Custodian of Evacuee Property) में निहित हो गई थी।
स्मारक और आयोजन — ASI दिशा-निर्देश, AMASR अधिनियम और ‘एडॉप्ट ए हेरिटेज’	रिपोर्ट के अनुसार, 2005 के ASI दिशा-निर्देश केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर समारोहों पर रोक लगाते हैं, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक के लिए अपवाद की अनुमति देते हैं, आयोजनों को रात 10 बजे तक समाप्त करना अनिवार्य करते हैं और टिकट बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं (द हिंदू पृ. 7)। मूल कानून प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 [Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, AMASR] है, जो संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण को विनियमित करता है (2010 के संशोधन के बाद 100 मीटर का प्रतिषिद्ध और उसके आगे 200 मीटर का विनियमित क्षेत्र)। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 (2023) निजी “स्मारक सारथी” भागीदारों को स्मारक अपनाने की अनुमति देता है।
TIME-HF — SCTIMST में नर्स-नेतृत्व वाली हृदय-विफलता देखभाल	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology), तिरुवनंतपुरम, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान है, ने 22 अस्पतालों में 1,507 वयस्कों पर TIME-HF यादृच्छिक परीक्षण किया। कम इंजेक्शन फ्रैक्शन वाले जिन रोगियों को नर्स-नेतृत्व वाली सहयोगात्मक देखभाल मिली, उनमें दो वर्ष में मृत्यु का जोखिम 22% कम रहा (द हिंदू पृ. 20, पत्रिका सकुलेशन के हवाले से)। यह कार्य-हस्तांतरण (task-shifting) का उदाहरण है, जिसमें प्रशिक्षित नर्स वे कार्य करती हैं जो सामान्यतः डॉक्टर करते हैं।
विश्व दृष्टि दिवस और RBSK	विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को पड़ता है, जो इस वर्ष 8 अक्टूबर था। द हिंदू के एक संपादकीय-पृष्ठ लेख में इसी अवसर पर तर्क दिया गया कि जाँच (screening) का अर्थ उपचार नहीं है: वहाँ उद्धृत कर्नाटक की एक रिपोर्ट के अनुसार 62 लाख बच्चों की जाँच हुई, पर केवल 1.9% को चश्मे मिले (द हिंदू पृ. 20)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की “4D” के लिए जाँच करता है: जन्म के समय दोष, कमियाँ, रोग और विकासात्मक विलंब।
प्रशस्त (PRASHAST) — विद्यालय-आधारित दिव्यांगता जाँच	प्रशस्त शिक्षा मंत्रालय की डिजिटल, दो-भागीय विद्यालय-आधारित जाँच-सूची है, जो शिक्षकों को बच्चों में संभावित दिव्यांगता पहचानने में सहायता करती है; विशेष शिक्षक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं और बच्चों को चिकित्सीय आकलन के लिए भेजते हैं। यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 [Rights of

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	Persons with Disabilities Act, 2016] के अंतर्गत मान्य 21 स्थितियों को समेटती है (द हिंदू पृ. 14; 8 अक्टूबर की PIB विज्ञप्ति)।
सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में पेइंग गेस्ट (PG) विनियमन	6 सितंबर को सत्य निकेतन में इमारत गिरने से सात लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें पाँच दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे। इसके बाद दिल्ली सरकार पेइंग गेस्ट आवास विनियमन एवं सुरक्षा विधेयक, 2026 (Paying Guest Accommodation Regulation and Safety Bill, 2026) का मसौदा बना रही है, और दिल्ली महायोजना (MPD)-2047 तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 [Delhi Municipal Corporation Act, 1957] में छूट के विकल्प देख रही है, ताकि शिक्षा केंद्रों के निकट प्राधिकृत PG चलाए जा सकें (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 3)। महायोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 [Delhi Development Act, 1957] के अंतर्गत तैयार की जाती है।
टाटा संस — ट्रस्टों के पास लगभग 66%	द इंडियन एक्सप्रेस (पृ. 13) के अनुसार टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में टाटा ट्रस्टों की हिस्सेदारी लगभग 66% है। ट्रस्टों के अध्यक्ष नोएल टाटा ने टाटा संस को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय से मेट का समय मांगा है। सूचीबद्ध होने पर टाटा संस प्रतिभूति नियामक SEBI के प्रकटीकरण और अभिशासन नियमों के अधीन आ जाएगा।
SIR के मसौदे में नाम कटने का आँकड़ा — लेखकों का अपना अनुमान	9 अक्टूबर के द हिंदू संपादकीय (पृ. 8) में दो लेखकों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) में मसौदा-चरण की विलोपन संख्या 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 13.37 करोड़ बताई है; यह उनकी अपनी गणना है, आधिकारिक आँकड़ा नहीं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 [Representation of the People Act, 1950] की धारा 21(3) “किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग” के लिए निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण की अनुमति देती है। लाल बाबू हुसैन (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नामावली में दर्ज नाम वैध माना जाता है और उसे सूचना देने तथा सुनवाई के बाद ही हटाया जा सकता है।
NBA — जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पहुँच एवं लाभ साझाकरण	पर्यावरण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority, NBA) ने बताया कि अप्रैल-सितंबर 2026 में पहुँच एवं लाभ साझाकरण (Access and Benefit Sharing, ABS) ढाँचे के अंतर्गत उसे ₹9.68 करोड़ प्राप्त हुए, जो भारत के जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं ने चुकाए (PIB, 8 अक्टूबर)। ABS वह अवधारणा है, जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002 [Biological Diversity Act, 2002] और जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity) के नागोया प्रोटोकॉल में निहित है, कि जो लोग जैविक संसाधनों या उनसे जुड़े ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करते हैं, उन्हें लाभ उन समुदायों के साथ बाँटने होंगे जिनके पास वे संसाधन या ज्ञान हैं।
धारा 163 BNSS — निषेधाज्ञा और जंतर-मंतर का नियम	दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर दिया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 [Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023] की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा तथा अपने 2022 के स्थायी आदेश का हवाला दिया, जो एक दिन से अधिक लगातार धरने की अनुमति नहीं देता (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 2, पृ. 4)। धारा 163 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 का उत्तराधिकारी प्रावधान है; यह ज़िला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को आशंकित खतरे या उपद्रव के आपात मामलों में जमावड़ा प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।
POCSO — अग्रिम जमानत से पहले पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य	इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने (29 सितंबर के आदेश में) उत्तर प्रदेश की सभी POCSO विशेष अदालतों को निर्देश दिया कि वे अग्रिम जमानत याचिकाओं का निर्णय गुण-दोष पर तभी करें जब पीड़ित या उसके अभिभावक को सुन लिया गया हो, और यदि वकील न रखा जा सके तो राज्य के खर्च पर विधिक सहायता अधिवक्ता दिया जाए (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 8)। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012] विशेष अदालतों और बाल-अनुकूल प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय — निरोध आदेश में आधार का उल्लेख आवश्यक	कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि विदेशी पंजीकरण कार्यालय का किसी व्यक्ति को बांग्लादेशी नागरिक मानकर निरुद्ध करने वाला आदेश उस निष्कर्ष का आधार स्पष्ट रूप से बताए, क्योंकि केवल ऐसा कह देना पर्याप्त नहीं है (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 6)। कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं, इसका निर्णय विदेशी अधिनियम, 1946 [Foreigners Act, 1946] के अंतर्गत होता है; आधार बताए बिना निरोध अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के रक्षोपायों के संदर्भ में भी चिंता पैदा करता है।
वायु सेना दिवस, 8 अक्टूबर	वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना की स्थापना और वायु योद्धाओं के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है; इस बल का गठन 1932 में हुआ था (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 8; द हिंदू पृ. 12)। इस वर्ष का 94वाँ समारोह हिंडन में हुआ, और वायु सेनाध्यक्ष (Chief of the Air Staff) इस सेवा के प्रमुख होते हैं।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026	साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026 कनाडाई कवयित्री और क्लासिकी विद्वान ऐनी कार्सन (आयु 76) को “उनकी साहसी और नवोन्मेषी रचना-संपदा के लिए, जिसने शास्त्रीय परंपरा से खिलंदडे संवाद में समकालीन साहित्य के नए रूप गढ़े” प्रदान किया गया (द इंडियन एक्सप्रेस पृ. 9; द हिंदू पृ. 16)। उनकी कृतियों में Eros the Bittersweet और Autobiography of Red शामिल हैं।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) — 9 अक्टूबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरका तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.1 (15 अंक, 250 शब्द)

“57वीं GST परिषद कर-प्रशासन में दंडात्मकता से भरोसे की ओर बदलाव का संकेत है।” राज्यों की भूमिका के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

भूमिका — 8 अक्टूबर को 57वीं GST परिषद ने अभियोजन से पहले गिरफ्तारी की शक्ति हटाने, अभियोजन-सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ करने और सामान्य जुर्माना ₹25,000 से ₹10,000 करने की सिफारिश की। अधिकांश बदलाव अप्रैल 2027 से।

- संदेह नहीं, भरोसा शुरूआती बिंदु** — अधिकारी को पहले प्रथम दृष्टया मामला बनाकर अदालत जाना होगा। ₹10,000 से कम के विवादों में नोटिस नहीं; पारगमन में माल केवल आपूर्तिकर्ता या गंतव्य राज्य के अधिकारी, विशिष्ट सूचना पर रोक सकेंगे।
- तेज़ रिफंड से भरोसा ठोस बनता है** — 90% रिफंड सात की जगह तीन कार्यदिवस में अपने-आप स्वीकृत होंगे, और जमा इनपुट क्रेडिट इनपुट सेवाओं व पूंजीगत माल पर भी वापस मिलेगा। प्रतिलोम शुल्क में फँसा धन कार्यशील पूंजी बनकर लौटता है।
- पर धोखाधड़ी का भय घट सकता है** — कम से कम चार राज्यों ने आपत्ति की: फ़र्जी बिल वाले गिरोह तुरंत गायब हो जाते हैं, धीमे अभियोजन से वसूली शायद न हो। डेटा-विश्लेषण के बिना भरोसा धोखेबाज़ों को तोहफ़ा है।
- राज्यों ने शक्ति छोड़ी, पर सहकारी भावना से** — अनुच्छेद 279A में निर्णय को भारत मतों का तीन-चौथाई चाहिए, जिसमें राज्यों का हिस्सा दो-तिहाई है। पारगमन वाले राज्यों ने एकल बाज़ार के लिए एक हथियार छोड़ा, पर राजस्व और अभियोजन रखे और सहमति से माने। Mohit Minerals (2022) के बाद सिफारिशें प्रेरक मात्र हैं, अतः संसद और हर विधानमंडल को GST अधिनियम संशोधित करने होंगे।

निष्कर्ष — बदलाव वास्तविक है, पर अधूरा: भरोसा अनुपालन-लागत तभी घटाता है जब चोरी पकड़ने की क्षमता बढ़े। आगे की राह: साझा केंद्र-राज्य बिल-मिलान डेटा, अप्रैल 2027 से पहले CGST व राज्य GST अधिनियमों में संशोधन, और वसूली की वार्षिक समीक्षा।

यह बनाइए: पहले बिंदु के बगल में दो प्रवाह-चित्र: पुराना “संदेह → गिरफ्तारी → मामला” कटा हुआ; नया “संदेह → डेटा-मिलान → साक्ष्य → अभियोजन”।

(257 शब्द)

11.2 GS1 कोना — भूगोल: पश्चिमी विश्व और उत्तर भारत में शीतकालीन तापमान-व्युत्क्रमण

आज का संदर्भ: 5.1

- पश्चिमी विश्वोत्तम उत्तर भारत को सर्दियों की बारिश देते हैं** — ये भूमध्यसागरीय क्षेत्र से उठने वाले निम्न-दाब तंत्र हैं, जिन्हें उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा पूर्व की ओर ले आती है। ये उत्तर-पश्चिमी मैदानों में रबी की गेहूँ की फ़सल के लिए उपयोगी शीतकालीन वर्षा और पश्चिमी हिमालय में हिमपात लाते हैं।
- शांत, साफ़ सर्द रातों तापमान-व्युत्क्रमण बनाती हैं** — ज़मीन तेज़ी से ऊष्मा खो देती है, इसलिए उसके पास की हवा ऊपर की हवा से ठंडी हो जाती है: ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यह स्थिर परत ऊपर उठती हवा को रोक देती है और धुआँ तथा नमी धुंध-कोहरे के रूप में फँस जाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- तापमान-व्युत्क्रमण में ऊँचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ता है।
- पश्चिमी विश्वोत्तम अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय तंत्र हैं, जिन्हें उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा पूर्व की ओर ले जाती है।
- पश्चिमी विश्वोत्तमों से होने वाली शीतकालीन वर्षा पंजाब और हरियाणा की रबी फ़सलों के लिए लाभकारी है।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
बालाघाट (Balaghat)	मध्य प्रदेश का दक्षिण-पूर्वी भाग, सतपुड़ा-मैकल की पहाड़ियों में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर।	केंद्र की प्रकोप-दल ने लगभग 32 बैगा बच्चों की मौतों को निगरानी-कर्मियों की कमी से जोड़ा है (6.2)।	कान्हा बाघ अभयारण्य का एक हिस्सा बालाघाट और मंडला ज़िलों में पड़ता है।
पन्ना (Panna)	बुंदेलखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश; यमुना की सहायक केन नदी इससे होकर उत्तर प्रदेश की ओर बहती है।	मझगाँव बाँध के पुनर्वास के विरुद्ध बनहरी कला में जल सत्याग्रह (8.1)।	केन-बेतवा लिंक का दौधन बाँध पन्ना बाघ अभयारण्य के भीतर स्थित है।

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
अभा (Abha)	दक्षिण-पश्चिमी सऊदी अरब, यमन की सीमा के पास असीर के उच्चभूमि क्षेत्र में।	इसके हवाई अड्डे पर हथी हमले में दो की मौत हुई और 28 घायल हुए (4.2)।	असीर के उच्चभूमि क्षेत्र में अरब प्रायद्वीप के अधिकांश भागों से अधिक वर्षा होती है।
बाब अल-मंदेब (Bab el-Mandeb)	यमन और जिबूती-इरिट्रिया के बीच जलडमरूमध्य, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है।	यहाँ से समुद्री व्यापार का 12% गुजरता है; होर्मुज पर पाबंदी के चलते भारत के लिए यह अहम है (4.2)।	स्वेज़ नहर के साथ मिलकर यह हिंद महासागर और भूमध्यसागर के बीच का लाल सागर मार्ग बनाता है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): जवाबदेही (Accountability)

अर्थ — अपने निर्णयों के लिए प्रभावित लोगों और उच्च प्राधिकारी के सामने उत्तर देना और उनके परिणाम स्वीकार करना। सच्ची जवाबदेही ज़िम्मेदारी वहाँ तय करती है जहाँ हानि रोकने की शक्ति थी, सामने दिखने वाले सबसे कमज़ोर व्यक्ति पर नहीं।

आज के समाचार में — केस 1 (6.2): बालाघाट के परिवारों को झाड़-फूँक करने वालों पर भरोसे का दोषी ठहराया जाता है, जबकि आशा और महामारी विशेषज्ञ के रिक्त पद भरना राज्य का दायित्व था। 1.2 में पंजाब का आयोग CCTV अभिलेखों के संरक्षक के रूप में राज्य पर बोझ डालता है।

उत्तर में उपयोग — प्रशासनिक विफलता के केस स्टडी में: सुधार सुझाने से पहले दोषारोपण और ज़िम्मेदारी का भेद करने के लिए इसका प्रयोग करें।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

जब किसी संस्था के भीतर कुछ भयावह घटना है, तो जनता का पहला सवाल प्रायः यही होता है कि दोष किसका है। कोई नाम ढूँढ़ लिया जाता है, किसी को निलंबित कर दिया जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। यह आदत समझ में आती है: शोक और क्रोध को एक चेहरा चाहिए, और एक व्यक्ति को दंड देना न्याय जैसा लगता है।

फिर भी खेलनायक की खोज अक्सर कारणों की खोज को रोक देती है। स्कूलों, अस्पतालों या दफ्तरों की ज़्यादातर गंभीर विफलताएँ कई छोटी-छोटी स्थितियों के एक साथ काम करने से पैदा होती हैं: ऐसे नियम जिन्हें कोई जाँचता नहीं, खाली छोड़े गए पद, ऐसे दबाव जिन्हें सब सामान्य मान लेते हैं, और ऐसी चेतावनियाँ जो कार्रवाई कर सकने वाले किसी व्यक्ति तक पहुँची ही नहीं। एक व्यक्ति को हटा दें, तब भी ये सारी स्थितियाँ बनी रहती हैं और अगले व्यक्ति के उसी तरह चूकने की राह देखती हैं।

दोषारोपण बाद में लोगों के व्यवहार को भी बदल देता है। जो लोग गलती के सबसे करीब होते हैं, वे यदि दंड की आशंका रखें तो उसे छिपा लेते हैं। त्रुटियाँ दर्ज नहीं होतीं, अभिलेख सँवार दिए जाते हैं, और संस्था उसी जानकारी से वंचित हो जाती है जो उसे सुधारने के लिए चाहिए। विमानन जैसे जो क्षेत्र कहीं अधिक सुरक्षित हुए हैं, वे आंशिक रूप से इसीलिए हुए कि लोगों को बिना भय त्रुटि बताने के लिए प्रोत्साहित किया गया और हर घटना के पीछे की घटनाओं की कड़ी का अध्ययन किया गया।

इसका अर्थ यह नहीं कि कोई ज़िम्मेदार नहीं है। जानबूझकर किए गए अपराध और घोर लापरवाही को दंड मिलना ही चाहिए, और पीड़ित परिवार इमानदार उत्तरों के हक़दार हैं। बात इतनी है कि दंड देना और समझना दो अलग काम हैं। जो जाँच केवल यह पूछती है कि किसने चूक की, वह शायद ही कभी जान पाती है कि चूक संभव कैसे हुई।

इसलिए परिपक्व सार्वजनिक संस्कृति हर त्रासदी को दो प्रश्नों की तरह देखेगी: इसका जवाब किसे देना है, और क्या बदलना होगा ताकि यह दोबारा न हो। दूसरा प्रश्न कठिन और धीमा है, पर अगले व्यक्ति की रक्षा वही करता है।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है?

- संस्थागत विफलताओं के लिए व्यक्तियों को कभी दंडित नहीं करना चाहिए।
- केवल किसी को दोषी ठहराने की खोज संस्थाओं को विफलता के कारण समझने और सुधारने से रोक सकती है।
- विमानन सभी क्षेत्रों में सबसे सुरक्षित है।
- त्रासदी के बाद जनता का क्रोध हमेशा अनुचित होता है।

Q2. यह दावा कि दंड-केंद्रित प्रतिक्रियाओं से संस्थाएँ जानकारी खो देती हैं, किस मान्यता पर टिका है?

- जो लोग दंड की आशंका रखते हैं, वे अपनी गलतियाँ बताने की संभावना कम रखते हैं।
- संस्थाएँ त्रुटियों का कोई अभिलेख नहीं रखतीं।
- अधिकांश त्रुटियाँ जानबूझकर की जाती हैं।
- जानकारी संस्थाओं के लिए कभी उपयोगी नहीं होती।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष गद्यांश से निकाला जा सकता है?

- किसी भी त्रासदी का सबसे अच्छा उत्तर अधिकारी का निलंबन है।
- लेखक ऐसी जाँचों का पक्ष लेगा जो व्यक्तिगत आचरण के साथ-साथ स्थितियों और प्रक्रियाओं की भी पड़ताल करें।
- पीड़ितों के परिवारों को उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती।

(d) रिक्त पद ही संस्थागत विफलता का एकमात्र कारण हैं।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. एक फ़र्म ₹6,00,000 के GST रिफ़ंड का दावा करती है। 90% अपने-आप स्वीकृत हो जाता है; सत्यापन पर शेष का 80% भी मंजूर होता है। कुल रिफ़ंड कितना है?

- (a) ₹5,40,000
- (b) ₹5,76,000
- (c) ₹5,88,000
- (d) ₹6,00,000

Q5. पाँच अधिकारियों में A, B से वरिष्ठ पर C से कनिष्ठ है; D, B से कनिष्ठ है; E, C से वरिष्ठ है। सबसे कनिष्ठ कौन है?

- (a) A
- (b) B
- (c) D
- (d) E

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) गद्यांश दोषारोपण की तुलना कारणों को समझने से करता है; विकल्प 0 गलत है क्योंकि चौथे अनुच्छेद के अनुसार जानबूझकर किए गए अपराध को दंड मिलना चाहिए।

Q2: (a) जानकारी तभी खोती है जब दंड का भय लोगों से त्रुटियाँ छिपवाए; विकल्प 2 गद्यांश के इस मत के विपरीत है कि विफलताएँ कई स्थितियों से उपजती हैं।

Q3: (b) लेखक चाहता है कि दोनों प्रश्न पूछे जाएँ; विकल्प 3 अतिशयोक्ति है, क्योंकि रिक्त पद अनेक स्थितियों में से केवल एक हैं।

Q4: (c) स्वचालित: 6,00,000 का 90% = 5,40,000। शेष 60,000; उसका 80% = 48,000। कुल = 5,88,000।

Q5: (c) वरिष्ठ से कनिष्ठ के क्रम में: E, C, A, B, D। D सबसे कनिष्ठ है।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड क • 7 मिनट पठन (min read)

कर-संग्राहक के रूप में विश्वास भय से बेहतर है।

विषय (Themes): कर-नैतिकता (Tax Morale): चोरी कर सकने पर भी अधिकांश नागरिक कर क्यों चुकाते हैं • भय से ईमानदारी नहीं, छिपाव पैदा होता है — खिड़की-कर से शाम की पराली आगजनी तक • विश्वास राज्य को अर्जित करना होता है और प्रमाणों से पुष्ट करना होता है, अंधाधुंध बाँटना नहीं।

किसी ज़िला-कस्बे के एक छोटे कपड़ा-व्यापारी की कल्पना कीजिए, जिसके घर में “इंस्पेक्टर” शब्द धीमी आवाज़ में बोला जाता है। वह कर चुकाता है, पर दो डर लेकर जीता है: कि फॉर्म में उससे कोई ईमानदार भूल हो गई होगी, और कि ईमानदार भूल को भी अपराध मान लिया जाएगा। भय उसे अधिक ईमानदार नहीं बनाता; वह उसे अधिक चिंतित बनाता है, और अपना कारोबार छोटा रखने को विवश करता है ताकि किसी की नज़र उस पर न पड़े। 8 अक्टूबर को 57वीं जीएसटी परिषद ने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसे घरों का माहौल बदल सकता है। इस निबंध का तर्क है कि जब नागरिक राज्य पर भरोसा करते हैं तो राज्य उनसे अधिक वसूलता है, और अधिक न्यायसंगत ढंग से वसूलता है, बनिस्वत तब जब वे उससे डरते हैं। साथ ही यह भी स्वीकार है कि विश्वास ऐसा उपहार नहीं जिसकी राज्य बस घोषणा कर दे; उसे अर्जित करना पड़ता है, और उन थोड़े लोगों को पकड़ पाने की क्षमता से पुष्ट करना पड़ता है जो उसे तोड़ते हैं।

यह विचार भारत में पुराना है। कालिदास ने रघुवंश के पहले सर्ग में आदर्श राजा दिलीप का वर्णन करते हुए लिखा: “प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्। सहस्रगुणमुत्सृष्टमादत्ते हि रसं रविः॥” उसने प्रजा से कर केवल प्रजा के ही कल्याण के लिए लिया, जैसे सूर्य पृथ्वी से जल केवल इसलिए खींचता है कि उसे वर्षा के रूप में हज़ार गुना लौटा दे। श्लोक यह नहीं कहता कि राजा से लोग डरते थे। वह यह कहता है कि प्रजा देख सकती थी कि उसका धन कहाँ गया। जो नागरिक वर्षा देखता है, वह सूर्य से खीझता नहीं। कराधान में विश्वास का पहला अर्थ यही है: दिखाई देने वाला प्रतिफल, यानी ऐसी सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अदालतें जो सचमुच काम करें।

इतिहास यह भी बताता है कि भय के बदले क्या उपजता है। इंग्लैंड ने 1696 में खिड़की-कर लगाया, यह मानकर कि खिड़कियों की संख्या संपन्नता का उचित संकेत है। गृहस्वामियों ने खिड़कियाँ ईंट से चुनवा दीं, और डेढ़ सौ वर्ष से अधिक समय तक लोग अँधेरे, अस्वास्थ्यकर कमरों में रहे, जब तक 1851 में कर अंततः निरस्त नहीं हुआ। राज्य को ईमानदारी नहीं मिली; मिला छिपाव। आज की खबरों में इसका आधुनिक रूप है। सरकार ने लोकसभा को बताया कि 2025 में पराली जलाने की घटनाएँ 2022 की तुलना में 90 प्रतिशत घटीं, पर यह गणना ध्रुवीय उपग्रहों पर टिकी है जो केवल सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 के बीच गुज़रते हैं। बहु-उपग्रह अनुमान गिरावट को लगभग 30 प्रतिशत बताता है, और ISRO के नेतृत्व वाले एक अध्ययन में पाया गया कि किसान शाम को आग लगाने लगे हैं। जब नियम केवल निगरानी और दंड से लागू कराए जाते हैं, तो लोग वे घंटे सीख लेते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता।

अर्थशास्त्र भी एक अनपेक्षित रास्ते से इसी निष्कर्ष पर पहुँचा। 1972 में माइकल एलिंगम और अग्नार सैंडमो ने एक प्रसिद्ध मॉडल रचा, जिसमें करदाता पकड़े जाने की संभावना और जुर्माने की राशि तौलकर ही कर चुकाता है। मॉडल सुघड़ था, पर बाद के शोधकर्ताओं ने देखा कि वास्तविक लेखा-परीक्षा दरों और इतने कम जुर्मानों को देखते हुए मॉडल कहीं अधिक चोरी का अनुमान देता है, जितनी हम वास्तव में देखते हैं। अधिकांश लोग उतने से अधिक चुकाते हैं जितना अकेला भय समझा सके। वे इसलिए चुकाते हैं कि उन्हें लगता है दूसरे भी चुका रहे हैं, नियम उन्हें उचित लगते हैं, और वे मानते हैं कि राज्य उनके साथ शालीनता से पेश आएगा। अर्थशास्त्री इसे “कर-नैतिकता” (Tax Morale) कहते हैं। यह सरकार के पास सबसे सस्ता कर-संग्राहक है, और सबसे आसानी से नष्ट होने वाला भी।

भारत ने दोनों सबक्र कीमत चुकाकर सीखे हैं। वोडाफोन के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 2012 में पारित पूर्वव्यापी संशोधन ने हर निवेशक को यह संदेश दिया कि राज्य किसी तय हो चुके मामले को जब चाहे फिर खोल सकता है। इससे वर्षों का मध्यस्थता-विवाद चला और भारत की साख को चोट पहुँची; 2021 में संसद ने स्वयं कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम [Taxation Laws (Amendment) Act] से उसे वापस लिया। मरम्मत धीमी और सोची-समझी रही है: 2020 में फ़ेसलेस मूल्यांकन और करदाता चार्टर, और 2023 का जन विश्वास अधिनियम (Jan Vishwas Act), जिसने 42 केंद्रीय कानूनों के 183 उपबंधों में आपराधिक दंड हटाए या नरम किए। जीएसटी परिषद का निर्णय इसी कड़ी में आता है। अब अधिकारी अभियोजन से पहले गिरफ़्तार नहीं करेंगे; अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़कर ₹5 करोड़ होगी; सामान्य जुर्माना ₹25,000 से घटकर ₹10,000 होगा; ₹10,000 से कम के विवादों में कारण-बताओ नोटिस तक नहीं मिलेगा; और 90 प्रतिशत रिफ़ंड तीन कार्य-दिवस में स्वीकृत होंगे। संदेश सीधा है: बेईमान थोड़े लोगों पर राज्य के संदेह की कीमत ईमानदार छोटे व्यापारी को न चुकानी पड़े।

प्रतिपक्ष की बात पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि वह मूर्खतापूर्ण नहीं है। कम से कम चार राज्यों ने गिरफ्तारी की शक्ति छोड़ने पर आपत्ति की, और उनका भय अनुभव पर टिका है। फ़र्जी बिल बनाने वाले गिरोह दिखावटी कंपनियाँ खड़ी करते हैं, जिस कर का कभी भुगतान नहीं हुआ उसका इनपुट क्रेडिट लेते हैं, और कुछ ही हफ़्तों में ग़ायब हो जाते हैं। अदालतों से होकर गुज़रने वाला धीमा रास्ता शायद ख़ाली दफ़्तर ही पाएगा। जाँच के बिना दिया गया विश्वास निमंत्रण बन जाता है। एक गहरी आपत्ति भी है: राज्य के प्रति विश्वास की घोषणा राज्य स्वयं नहीं कर सकता। पन्ना में, जहाँ आदिवासी परिवार मझगाँव बाँध के उचित मुआवज़े की माँग को लेकर एक महीने से पानी में खड़े हैं, एक राजस्व अधिकारी ₹47,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। जिस नागरिक का उस अधिकारी से वास्ता पड़ा है, वह केवल छुपे होने भर से किसी करदाता चार्टर पर विश्वास नहीं करेगा। और कुछ भय आवश्यक भी है: कोई समाज केवल सद्भाव के सहारे नहीं चला।

ये आपत्तियाँ तर्क को पलटती नहीं; उसे परिष्कृत करती हैं। अठारहवीं सदी के इतालवी चिंतक चेज़ारे बेकरिया ने On Crimes and Punishments में तर्क दिया कि दंड की निश्चितता उसकी कठोरता से अधिक निवारक होती है। विश्वास और निवारण के बीच यही सेतु है। जो राज्य संदेह पर गिरफ़्तार करता है, वह कठोर है पर अनिश्चित: वह ईमानदारों को डराता है और चतुरों को अक्सर चूक जाता है। जो राज्य हर आपूर्तिकर्ता के रिटर्न का हर ख़रीदार के दावे से मिलान करता है, पहले ही महीने में भारी बिल काटने वाली नई फ़र्म को चिह्नित करता है, और प्रमाण के साथ शीघ्र अभियोजन करता है, वह क्रूर हुए बिना निश्चित है। तब ईमानदार करदाता को कम बार किसी के आने का सामना करना पड़ता है, और जालसाज़ को पकड़े जाने की अधिक संभावना दिखती है। बहुसंख्यकों के लिए विश्वास और थोड़े लोगों के लिए निश्चितता प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। वे एक ही रचना के दो आधे हिस्से हैं, और इन्हें जोड़ने वाली चीज़ हथकड़ी की धमकी नहीं, आँकड़े हैं। केंद्र को वह आँकड़ा राज्यों से साझा भी करना होगा, ताकि जिन राज्यों ने एक हथियार छोड़ा है, उन्हें उससे बेहतर हथियार मिले।

विश्वास को दोनों दिशाओं में चलना भी होगा। जो राज्य चाहता है कि नागरिक उस पर भरोसा करें, उसे अपने वचन निभाने होंगे: समय पर रिफ़ंड, ऐसे नियम जो पीछे की ओर न बदलें, ऐसे अधिकारी जो रिश्वत न लें, और गाँव डूबने से पहले चुकाया गया मुआवज़ा। हर विलंबित रिफ़ंड और हर मनमाना नोटिस सद्भावना के उस बैंक-खाते से एक निकासी है जिसे भरने में दशकों लगे। कालिदास के सूर्य पर भरोसा इसलिए है कि वर्षा सचमुच आती है।

फिर उस कपड़ा-व्यापारी की सोचिए। इंस्पेक्टर के बिना सूचना के आना बंद कर देने से वह संत नहीं बन जाएगा, पर संभव है कि वह कारोबार बढ़ाए, हर ग्राहक को उचित बिल दे और चैन से सोए, और राज्य को एक बड़ी दुकान से उतना मिलेगा जितना डरी हुई छोटी दुकान से कभी न मिला। भय नागरिक से एक बार कर दिलवा सकता है। विश्वास उससे हर वर्ष दिलवाता है, और गर्व से दिलवाता है। अच्छे प्रशासक का काम इनमें से किसी एक को चुनना नहीं, इन्हें सही जगह रखना है: नियम के रूप में विश्वास, अपवाद के रूप में निश्चित दंड, और दोनों की नींव के रूप में राज्य की अपनी ईमानदारी।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards):